

वाटरशेड विकास परियोजनाओं
के लिए
समान मार्गदर्शी सिद्धांत

भारत सरकार

2008

विषय सूची

1.	आमुख	01
2.	मार्गदर्शी सिद्धांत	06
3.	प्रौद्योगिकीय निविष्टियाँ	08
4.	राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर संस्थागत व्यवस्थाएं	09
4.1	राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की भूमिका	09
4.2	मंत्रालय स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं	11
4.3	राष्ट्र स्तर पर आँकड़ा केन्द्र तथा राष्ट्रीय पोर्टल	12
4.4	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी	13
4.5	जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.)	16
4.6	जिला तथा मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका	18
5.	परियोजना स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं	19
5.1	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.)	20
5.2	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) की भूमिका और उत्तरदायित्व	21
5.3	वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.)	21
5.4	वाटरशेड विकास दल की भूमिका और उत्तरदायित्व	22
6.	ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं तथा लोगों की भागीदारी	23
6.1	स्व-सहायता समूह	23
6.2	प्रयोक्ता समूह	23
6.3	वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.)	24
6.4	सचिव, वाटरशेड समिति	25
6.5	ग्राम पंचायत की भूमिका	25
7.	वाटरशेड परियोजनाओं के चयन के लिए मानदण्ड	26

8.	परियोजना प्रबंधन	26
8.1	प्रारंभिक चरण	27
8.2	वाटरशेड कार्य चरण	31
8.3	समेकन तथा निवर्तन चरण	32
9.	निधियों का आबंटन, परियोजनाओं को अनुमोदित करना तथा निधियाँ जारी करना ।	35
9.1	राज्यों को निधियों का आबंटन	35
9.2	जिलों को निधियों का आबंटन	35
9.3	वाटरशेड विकास परियोजनाओं का अनुमोदन और स्वीकृति	36
9.4	किस्तें जारी करने के लिए प्रक्रिया	38
9.5	प्रयोक्ता प्रभार	39
9.6	वाटरशेड विकास निधि	39
9.7	अन्य योजनाओं / परियोजनाओं के साथ समन्वय	40
9.8	परियोजनाओं को समय-पूर्व बंद करना	41
10.	क्षमता निर्माण संबंधी कार्यनीति	42
10.1	क्षमता निर्माण संबंधी कार्यनीति के मुख्य घटक	42
10.2	संसाधन संगठन और भागीदारी विकसित करना	42
11.	निगरानी, मूल्यांकन और ज्ञानार्जन	44
11.1	निगरानी	44
11.2	मूल्यांकन	44
11.3	ज्ञानार्जन	45
11.4	निष्कर्ष (आउटकम)/अंतिम परिणाम	46

1. आमुख

1. वर्ष 1994 में, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) की कमियों का पता लगाने तथा उनमें सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से इनका मूल्यांकन करने हेतु प्रो० सी०एच० हनुमंत राव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी। ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि “कार्यक्रमों को विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय निवासियों को शामिल करके वाटरशेड आधार पर सुनियोजित योजनाएं तैयार किए बिना ही कड़े मार्गदर्शी सिद्धांतों के जरिए विखण्डित रूप में कार्यान्वित किया गया है। कुछेक स्थानों को छोड़कर, उपलब्धियाँ इष्टतम नहीं रही हैं। इन क्षेत्रों में वन आच्छादन में कमी आने, भू-जल स्तर नीचे गिरने तथा पेयजल, ईंधन एवं चारे में कमी होने के साथ-साथ पारिस्थितिकीय अवक्रमण अनवरत रूप से जारी है”। (हनुमंत राव समिति, 1994, आमुख)

2. इन कमियों को दूर करने के लिए समिति ने बहुत सी सिफारिशें की थीं तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सेट तैयार किया था जिससे मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को एक निकाय के अंतर्गत लाया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994 से 2001 तक की अवधि के दौरान आरंभ की गई वाटरशेड परियोजनाओं में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण किया गया था। वर्ष 2000 में कृषि मंत्रालय ने अपने कार्यक्रम, वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना(एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) के लिए अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशोधित किया था। इसका उद्देश्य यह था कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यक्रम को अधिक सहभागी, सतत् तथा साम्यिक बनाने हेतु समान मार्गदर्शी सिद्धांत माना जाए। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हनुमंत राव समिति, 1994 के मार्गदर्शी सिद्धांतों को वर्ष 2001 में संशोधित किया था तथा वर्ष 2003 में ‘हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांतों’ के नाम से इन्हें पुनः संशोधित किया था।

3. इसी बीच, भू-जल की पुनः भरवाई और यथोचित मात्रा में निवेश की व्यवस्था करने के लिए समेकन के उभरते हुए मुद्दों के संबंध में नव-परिवर्तनकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों की आवश्यकता महसूस की गई। ग्यारहवीं योजना अवधि के प्रारंभ में हमारी मुख्य चुनौती राष्ट्र को “समग्र विकास” की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ाना है। 142 मिलियन हैक्टेयर के निवल कृषित क्षेत्र में से 85 मिलियन हैक्टेयर वर्षासिंचित

क्षेत्र विगत में उपेक्षित रहा है। इन क्षेत्रों में दोहन न की गई उच्च उत्पादकता तथा आय सृजन की क्षमता मौजूद है।

4. वर्षासिंचित क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने पर इन क्षेत्रों में गरीबी, जल की कमी, भूजल स्तर में तेजी से गिरावट तथा कमजोर पारिस्थितिकीय प्रणालियों की भयावह स्थिति का पता चलता है। वायु तथा जल के द्वारा मृदा के क्षरण के कारण भूमि का अवक्रमण, वर्षा जल के उपयोग की कम क्षमता, अधिक जनसंख्या का दबाव, चारे की अत्यधिक कमी, पशुधन से अत्यंत कम उत्पादन, जल उपयोग की क्षमता में कम निवेश, सुनिश्चित और लाभकारी विपणन अवसरों की कमी और कमजोर अवसंरचना समर्थकारी नीतियों की मुख्य चिन्ताएं हैं। अतः वर्षासिंचित क्षेत्रों में चुनौती सतत् आधार पर आय, उत्पादकता को बढ़ाने तथा जीविका की सुरक्षा हेतु एकीकृत कृषि प्रणालियों पर जोर देते हुए सहभागी वाटरशेड विकास के जरिए ग्रामीण जीविका-साधनों में सुधार लाना है।

5. इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए नवम्बर, 2006 में राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) का गठन किया गया है। वर्षा सिंचन की विभिन्न प्रकार की स्थितियों के गहन विश्लेषण से यह पता चलेगा कि मृदा तथा जल संरक्षण, वाटरशेड विकास तथा कुशल जल प्रबंधन वर्षासिंचित क्षेत्रों के सतत् विकास की कुंजी हैं। सामाजिक पूंजी को जुटा कर जल, मृदा तथा वनस्पति जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए वर्षासिंचित क्षेत्रों के विकास हेतु वाटरशेड पद्धति को मुख्य साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। विभिन्न अध्ययनों में मृदा और जल संरक्षण सहित वाटरशेड विकास परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र द्वारा अधिक ध्यान दिए जाने और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग और जीविका-साधनों से संबंधित मुद्दों की सापेक्ष उपेक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है।

6. चल रही विभिन्न वाटरशेड विकास परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन का आकलन करने के उद्देश्य से आई.सी.ए.आर. (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), आदि के द्वारा कई मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। इसके अलावा कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, योजना आयोग, आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी. (इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमि एरिड ट्रॉपिक्स), भूमि संसाधन विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए थे। इन अध्ययनों से इस अभिमत को समर्थन प्राप्त होता है कि बहुत से वाटरशेडों में भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करके

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कृषि के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों के लिए रोजगार का सृजन होने तथा सामाजिक उत्थान होने के रूप में कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावी रहा है। परन्तु ये सफलताएं यत्र-तत्र और आधे-अधूरे रूप में प्राप्त हुई हैं। तथापि, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर समग्र प्रभाव सामान्यतया अपर्याप्त रहा है। अतिरिक्त माँग तथा आपूर्ति आधारित सामाजिक-आर्थिक तथा जोखिम प्रबंधन प्रतिमान प्रकट हो रहे हैं।

7. इस संदर्भ में सभी मंत्रालयों द्वारा एकीकृत पद्धति अपनाए जाने को मद्दे नजर रखते हुए योजना आयोग के साथ समन्वय से “वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत” तैयार करने हेतु एक प्रयास किया गया है। अतः ये मार्गदर्शी सिद्धांत वाटरशेड विकास परियोजनाओं से संबंधित भारत सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों की सभी वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए लागू हैं।

8. देश के 329 मि०है० के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 146 मि०है० क्षेत्र अवक्रमित भूमि क्षेत्र है तथा 85 मि०है० वर्षासिंचित कृषि योग्य भूमि है। इसमें न केवल निजी स्वामित्व वाली अवक्रमित भूमि ही शामिल है बल्कि पंचायत, राजस्व और वन विभागों के अंतर्गत आने वाली अवक्रमित भूमि भी शामिल है। ऐसी सभी भूमि को इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत विभिन्न वाटरशेड विकास परियोजनाओं के तहत विकसित किए जाने हेतु प्राथमिकता दी जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मुख्यतः अविकसित क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जाएगा।

9. इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अगली पीढ़ी के वाटरशेड कार्यक्रमों के लिए व्यापक तौर पर एक नए ढांचे को दर्शाया गया है। इस नयी एकीकृत पद्धति की मुख्य विशेषताओं का मोटे तौर पर निम्नानुसार उल्लेख किया जा सकता है :-

I. राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन : राज्यों को अब अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के भीतर और इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित किए गए मानदण्डों के तहत वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत करने तथा इनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए अधिकार दिए जाएंगे।

II. समर्पित संस्थाएं : वाटरशेड कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर बहु-विधासम्पन्न व्यावसायिक दलों से युक्त समर्पित कार्यान्वयन एजेंसियाँ होंगी।

III. समर्पित संस्थाओं को वित्तीय सहायता : वाटरशेड परियोजनाओं के प्रबंधन में व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी ।

IV. कार्यक्रम की अवधि : इस पद्धति के अंतर्गत कार्यक्षेत्र तथा प्रत्याशाओं में वृद्धि किए जाने को मद्देनजर रखते हुए परियोजना अवधि को 3 अलग-अलग चरणों, अर्थात् प्रारंभिक चरण, कार्य चरण तथा समेकन चरण में फ़ैले कार्यकलापों के स्वरूप पर निर्भर करते हुए 4 वर्ष से 7 वर्ष की सीमा तक बढ़ाया गया है।

V. जीविका अभिमुखीकरण : संरक्षण उपायों के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि तथा जीविका साधनों को प्राथमिकता दी जाएगी। संसाधनों के संरक्षण तथा इनके पुनः सृजन को सुनिश्चित करते समय स्थानीय जीविका-साधनों को प्रोत्साहन देने हेतु कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए संसाधन विकास तथा इसके उपयोग की योजना बनायी जाएगी। नई पद्धति के द्वारा पशुधन तथा मत्स्य पालन प्रबंधन को एक केन्द्रीय कार्यकलाप के रूप में योजनाबद्ध तरीके से समेकित किया जाएगा तथा इससे डेरी-उद्योग तथा दुग्ध उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्षासिंचित क्षेत्रों में पशु संसाधन लोगों की आय का मुख्य स्रोत बन गया है। अतः पशुपालन को वाटरशेड विकास परियोजनाओं के साथ कारगर रूप से समेकित किये जाने पर एक विस्तृत पशुपालन संघटक वर्षासिंचित क्षेत्रों में लोगों के लिए बेहतर और सतत जीविका सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

VI. सामूहिक पद्धति (कलस्टर एप्रोच) : नई पद्धति में लघु-वाटरशेडों के समूहों को शामिल करके सामान्यतः 1000 से 5000 हैक्टेयर तक की औसत आकार की भू-जलीय ईकाइयों की विस्तृत संकल्पना शामिल है। यदि संसाधन और क्षेत्र उपलब्ध हों तो सटे हुए क्षेत्रों में अतिरिक्त वाटरशेडों को सामूहिक रूप से आरंभ किया जा सकता है। तथापि, पहाड़ी/ दुर्गम भू-भाग वाले क्षेत्रों में छोटे आकार की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी।

VII. वैज्ञानिक आयोजना : कार्यक्रम की आयोजना, निगरानी तथा मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूर संवेदी निविष्टियों को उपयोग में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

VIII. क्षमता निर्माण: वाटरशेड कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल सभी कार्यकर्ताओं और भागीदारों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के कार्य को सुनिश्चित कार्य योजना और अपेक्षित व्यावसायिकता और योग्यता के साथ युद्ध स्तर पर सम्पन्न किया जाएगा।

IX. बहु स्तरीय पद्धति: इसमें एक बहु-स्तरीय पर्वत-शिखर से घाटी की ओर क्रमबद्ध पद्धति होगी, जिसे वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपनाया जाना चाहिए। ऊपरी स्थान या वन वास्तव में वे स्थान हैं जहां से जल स्रोतों का उद्गम होता है। अतः इस पद्धति के अंतर्गत ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में जहां संभव हो, ऐसे क्षेत्र का पता लगाया जाना होगा और, इसके लिए सबसे पहले वन तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, या राज्य वन कार्यक्रमों या अन्य स्रोतों की सहायता से उपयुक्त विकास कार्य शुरू किये जाने पर ही वाटरशेड के सबसे कठिन भाग का कार्य पूरा हो सकेगा। वन विभाग वनों के कटाव तथा अवक्रमण को रोकने के लिए रोक बांधों, समोच्च बांधों आदि जैसी संरचनाओं के प्रबंधन में लगा हुआ है, जिससे वास्तव में निचले स्तरों को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार ऊपरी स्थानों, जो अधिकांशतया पहाड़ी और वनीय हैं, में कार्यान्वयन की जिम्मेवारी मुख्यतया वन विभागों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे0एफ0एम0सी0) की होगी।

दूसरा स्तर मध्यवर्ती स्तर या ढलान वाले क्षेत्र हैं, जो कृषि भूमि के ठीक ऊपर होते हैं। मध्यवर्ती ढलानों में वाटरशेड प्रबंधन पद्धति से भूमि को विकसित करने, फसल पद्धति, बागवानी, कृषि वानिकी आदि सहित सभी संभव सर्वोत्तम विकल्पों को ध्यान में लेते हुए सभी आवश्यक मुद्दों का समाधान होगा।

जहां तक मैदानी तथा समतल क्षेत्रों के तीसरे स्तर का संबंध है, जहां पर विशिष्ट रूप से किसान कार्य करते हैं, वहाँ पर मुख्यतया श्रम प्रधान कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। वाटरशेड विकास प्रक्रिया को रोजगार सृजन कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.), से इनमें कारगर समन्वय करते हुए सहयोजित किया जाएगा ।

10. अन्तर्निहित लोचशीलता से युक्त इन मार्गदर्शी सिद्धांतों से देश में सभी वाटरशेड विकास परियोजनाओं की आयोजना, अभिकल्प, प्रबंधन तथा कार्यान्वयन के लिए एक समर्थकारी ढांचा उपलब्ध होगा। इन समान मार्गदर्शी सिद्धांतों को अनुमोदित किए जाने के साथ ही, ये भारत सरकार के सभी विभागों की वाटरशेड विकास से संबंधित सभी योजनाओं के लिए लागू होंगे।

1.4.2008 से नई वाटरशेड परियोजनाएं, इन समान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित की जाएंगी। पहले से स्वीकृत और चल रही परियोजनाओं में पूर्ववर्ती मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के किसी भी उपबंध के अर्थनिरूपण के लिए राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण(एन.आर.ए.ए.) अंतिम प्राधिकरण होगा। यदि किसी नोडल मंत्रालय द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के किसी उपबंध में किसी संशोधन का विचार किया जाता है तो ऐसे संशोधन का राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) की कार्यकारी समिति द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक होगा।

2. मार्गदर्शी सिद्धांत

11. वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैं :

I. समानता और महिलाओं की भागीदारी : वाटरशेड विकास परियोजनाओं को समग्रता बढ़ाने के साधनों के रूप में माना जाना चाहिए। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को समानता प्रक्रियाओं को सुसाध्य बनाना चाहिए जैसे (क) गरीबों की परिसम्पत्तियों में निवेश करके तथा उत्पादकता एवं आय में सुधार के जरिए गरीबों के लिए जीविका के अधिक अवसर उपलब्ध कराना, (ख) गरीबों, विशेषरूप से महिलाओं को लाभों की प्राप्ति में सुधार लाना (ग) निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भूमिका तथा संस्थागत व्यवस्थाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाना (घ) संसाधनहीन गरीबों के लिए सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों से भोगाधिकारों को सुनिश्चित करना।

II. विकेन्द्रीकरण : विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन और व्यावसायिकता से परियोजना प्रबंधन में सुधार होगा। पंचायती राज संस्थाओं की समग्र संरचना के अंतर्गत उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित करने तथा भिन्न-भिन्न स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मानदण्डों में कार्यात्मक लोचशीलता से विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नीतियों को युक्तिसंगत बनाने की प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ अधिकार प्राप्त समितियाँ होना, निरंतर प्रशासनिक सहायता और समय पर निधियाँ जारी करना, कारगर विकेन्द्रीकरण के लिए अन्य साधन हैं।

III. सुविधाप्रदाता एजेंसियाँ : सामाजिक एकजुटता, सामुदायिक संगठन, आयोजना तथा कार्यान्वयन में समुदायों में क्षमता निर्माण, समान व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने आदि के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। अपेक्षित दक्षता तथा विशेषज्ञता रखने वाले व्यावसायिक दलों से युक्त स्वयंसेवी संगठनों सहित सक्षम संगठनों का चयन सख्त प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा और इन्हें उपर्युक्त विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है।

IV. सामुदायिक भागीदारी का केन्द्रबिन्दु : मूल भागीदारों की सहभागिता वाटरशेड परियोजनाओं की आयोजना, बजट तैयार करने, कार्यान्वयन तथा प्रबंधन का केन्द्र बिन्दु है। सामुदायिक संगठनों को ग्राम सभाओं के साथ निकटता से सहयोजित किया जा सकता है और परियोजना कार्यकलापों में इन्हें ग्राम सभाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

V. क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकीय निविष्टियाँ : वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण संघटक के रूप में क्षमता निर्माण पर पर्याप्त जोर दिया जाएगा। यह एक सतत् प्रक्रिया होगी जिससे कार्यकर्ता अपना ज्ञान तथा दक्षता बढ़ाने तथा उचित उन्मुखीकरण एवं संभावनाएं विकसित करने में सक्षम हो सकेंगे और ऐसा होने से वे अपनी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को पूरा करने में अधिक प्रभावी बन सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूर संवेदी तंत्र में वर्तमान प्रवृत्तियों तथा इनमें विकास होने से किसी इलाके या क्षेत्र की विभिन्न क्षेत्र स्तरीय विशेषताओं के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त करना संभव हो गया है। इस प्रकार, प्रयास यह रहेगा कि वाटरशेड कार्यक्रमों की नई संकल्पना के संबंध में ठोस प्रौद्योगिकीय निविष्टियाँ तैयार की जाएं।

VI. निगरानी, मूल्यांकन और ज्ञानार्जन : पूरक सूचना प्राप्त करने तथा आयोजना, परियोजना अभिकल्प तथा कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए एक सहभागी, परिणामी तथा प्रभावोन्मुखी और प्रयोक्ता केन्द्रित निगरानी, मूल्यांकन तथा ज्ञानार्जन की प्रणाली लागू की जाएगी।

VII. संगठनात्मक पुनर्संरचना : राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा परियोजना स्तरों पर उपयुक्त तकनीकी तथा व्यावसायिक सहायता संरचनाएं स्थापित करने तथा परियोजना प्राधिकारियों, कार्यान्वयन एजेंसियों और सहायक संगठनों के बीच प्रभावी कार्यात्मक भागीदारी को विकसित किए जाने से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाएगी।

3. प्रौद्योगिकीय निविष्टियाँ

12. प्रौद्योगिकी, हमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम प्रबंधन तथा समन्वय को सुदृढ़ बनाने, कार्यकलाप आधारित परियोजना की योजना बनाने, कार्य योजनाएं तैयार करने, स्वीकृतियाँ तथा निधियाँ जारी करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने, उपयोगी आँकड़ा आधार सृजित करने, परियोजनाओं के वास्तविक प्रभाव का आकलन करने, कारगर प्राथमिकताएं निर्धारित करने, विवेकपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने, दस्तावेज तैयार करने और मामलों का अध्ययन करने की उत्तम प्रक्रियाएं अपनाने में समर्थ बनाती है और सूचना तथा आंकड़ों की मुक्त और निर्बाध प्राप्ति को सुसाध्य बनाती है।

13. इस प्रकार वाटरशेड कार्यक्रमों की नई संकल्पना के लिए सुनिश्चित प्रौद्योगिकीय निविष्टियाँ तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर स्थानिक तथा गैर-स्थानिक आँकड़ों के साथ मूल भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) सुविधाएं स्थापित की जाएंगी तथा इन्हें राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त उपग्रह इमेज़री आँकड़ों के साथ संवर्धित किया जाएगा। सर्वप्रथम गाँव की सीमाओं के स्तर तक भू-संदर्भित आधार वाले संस्तर के साथ विभिन्न विषयों के संबंध में सभी जी.आई.एस. संस्तरों (लेयर्स) की व्यवस्था की जाएगी। इन मूल जी0आई0एस0 आँकड़ों की स्थानीय परियोजना की आयोजना के लिए नेटवर्क पर नियंत्रित रूप से प्राप्ति हो सकेगी /इनका वितरण किया जा सकेगा। वेब-आधारित समेकित वाटरशेड विकास के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, स्थानिक और गैर-स्थानिक आँकड़ा मानक तथा मेटा-डाटा भी तैयार किए जाएंगे। एक बार ऐसा सूचना आधार तैयार हो जाने पर प्रत्येक परियोजना की अलग पहचान निर्धारित करके वाटरशेड परियोजना की सीमाओं को निर्धारित करना संभव हो जाएगा। इससे विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का, गाँवों, ब्लॉकों तथा जिलों के रूप में इनकी संबंधित प्रशासनिक संरचनाओं के संबंध में, मानचित्रण भी संभव हो जाएगा।

14. बहाव क्षेत्र का आकलन करने के लिए समोच्च मानचित्रों को अंतिम रूप देने तथा परियोजनाओं के स्थान के लिए सबसे उपयुक्त संरचनाओं का पता लगाने हेतु दूर संवेदी आँकड़ों को उपयोग में लाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में लागत और समय का इष्टतम सीमा तक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

प्रौद्योगिकी किसी भी निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के वास्तविक प्रभाव का आकलन करने में भी काफी अधिक सहायक होगी। अद्यतन दूर संवेदी तकनीकों के उपलब्ध होने के कारण परियोजना क्षेत्र में अब भू-जलीय शक्यता, मृदा और फसलों के स्वरूप, जल बहाव, आदि में होने वाले आवधिक परिवर्तनों का आकलन करना संभव हो गया है।

15. सूचना सम्बद्धता को सभी जिलों तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों तक बढ़ाया जाएगा। यह वाटरशेड सूचना नेटवर्क पूर्णतया परियोजना क्षेत्रों तक पहुंचेगा। प्रत्येक जिला तथा राज्य केन्द्र को सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबंधित क्षेत्र में अपेक्षित दक्षता रखने वाले विशेषज्ञों से लैस किया जाएगा। इस प्रकार प्रौद्योगिकी निविष्टियों से क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा प्रबंधन में एक प्रतिमानी परिवर्तन आएगा।

16. एक राष्ट्रीय पोर्टल का सृजन किया जाएगा जिसमें पूरे देश में सभी वाटरशेड परियोजनाओं के संबंध में तैयार किए गए आँकड़ों को रखा जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय/ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/ कृषि मंत्रालय सहित सभी संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से प्राप्त निविष्टियों को संकलित किया जाएगा। राष्ट्रीय पोर्टल को संचालित करने और इसके रखरखाव का कार्य राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण(एन.आर.ए.ए.) द्वारा किया जाएगा।

4. राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर संस्थागत व्यवस्थाएं

मार्गदर्शी सिद्धांतों की मूलभावना का अनुसरण करते हुए वाटरशेड विकास परियोजनाओं के प्रभावी तथा व्यावसायिक प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाएं की जाएंगी।

4.1 राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की भूमिका

17. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगा :

(क) विशिष्ट कृषि जलवायु तथा सामाजिक- आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य तथा जिला स्तर पर वाटरशेड आधारित विकास परियोजनाओं के लिए कार्यनीतिक योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में सहायता करना।

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मानकों तथा विनिर्देशनों, आदि सहित अपेक्षित बहु-विधायुक्त तथा समेकित पद्धति के संबंध में राज्य विशिष्ट तकनीकी मैनुअल तैयार करने में सहायता करना ।

(ग) संसाधन संगठनों की पहचान करने तथा क्षमता निर्माण संबंधी व्यवस्थाएं स्थापित करने में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों की सहायता करना ।

(घ) विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में वाटरशेड विकास कार्यक्रम के लिए संगत अनुसंधान कार्रवाई को सुसाध्य बनाना।

(ङ) समय-समय पर अध्ययन, मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन करना ताकि इनसे प्राप्त होने वाले लाभ वाटरशेड विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उपलब्ध हो सकें।

(च) एक समान उद्देश्यों वाली भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के समेकन को सुसाध्य बनाना ।

(छ) निजी क्षेत्र, विदेशी वित्त पोषण एजेंसी आदि सहित अन्य स्रोतों से अतिरिक्त निधियाँ जुटाना तथा क्षेत्र स्तरों पर नवकारी संगठनों के जरिए कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने के लिए तथा सफल अनुभवों में और वृद्धि करने के लिए इनके उपयोग को सुसाध्य बनाना ।

(ज) वाटरशेड कार्यक्रमों में लगे विभिन्न निकायों/ संगठनों/ एजेंसियों/ विभागों/ मंत्रालयों आदि के बीच कारगर समन्वयकारी तंत्र के रूप में कार्य करना।

(झ) क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, अध्ययन दौरों का आयोजन करना तथा सूचना का आदान- प्रदान करना ।

(ञ) तकनीकी जानकारी संबंधी निविष्टियाँ तथा विशेषज्ञता उपलब्ध कराना ।

(ट) राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के शासी निकाय/ सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसे अन्य कार्यकलाप करना ।

4.2 मंत्रालय स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं

18. यद्यपि प्रत्येक मंत्रालय वाटरशेड विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए अपना तंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, तथापि इसे वाटरशेड विकास परियोजनाओं के प्रबंधन तथा कार्यान्वयन के लिए विभाग में केन्द्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी स्थापित करने का विकल्प भी प्राप्त होगा। इन नोडल एजेंसियों में कृषि, जल प्रबंधन, संस्थापन एवं क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले व्यावसायिक बहुविधा सम्पन्न विशेषज्ञ शामिल होंगे।

19. विभाग/मंत्रालय में केन्द्र स्तर पर नोडल एजेंसी अन्य कार्यों के अलावा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों को भी निष्पादित करेगी :

(क) मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथा विनिर्दिष्ट मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच परियोजनाओं के लिए बजटीय परिव्यय के आबंटन को सुसाध्य बनाना।

(ख) राज्य तथा जिला स्तरीय एजेंसियों के साथ बातचीत करना, निधियाँ प्रदान किए जाने संबंधी मानदण्डों तथा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों से प्राप्त सिफारिशों के अनुसार जिला वाटरशेड विकास इकाइयों के लिए निधियों की निर्विघ्न प्राप्ति को सुसाध्य बनाना तथा सुनिश्चित करना।

(ग) सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से सहायता देना।

(घ) आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी निविष्टियों के साथ सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई.ई.सी.) कार्यकलापों की सशक्त रूप से सहायता करना, संवर्धन करना तथा इन्हें आरंभ करना।

(ङ) ऑन-लाइन प्रणालियों के जरिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित करना।

(च) बुनियादी स्तर पर परियोजनाओं के कारगर कार्यान्वयन हेतु राज्य तथा जिला स्तरीय एजेंसियों के साथ बातचीत करके क्षेत्रीय दौरों, निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा तथा प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ सुनिश्चित करना।

(छ) मूल्यांकनकर्ताओं या मूल्यांकन एजेंसियों का एक पैनल तैयार करना और मूल्यांकन अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और ऐसे अन्य मूल्यांकन कार्य आरंभ करना, जिन्हें समय-समय पर उपयुक्त समझा जाए।

(ज) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं, अध्ययन दौरों, अनुसंधान/ क्षेत्रीय अध्ययनों में भाग लेने तथा सूचना का आदान-प्रदान करने में सहायता करना और इसे सुसाध्य बनाना ।

(झ) वाटरशेड कार्यक्रमों में लगे सभी निकायों, संगठनों, एजेंसियों, विभागों, मंत्रालयों आदि के बीच एक कारगर समन्वयकारी तंत्र के रूप में कार्य करना।

(ञ) ऐसे सभी कार्यकलापों को हाथ में लेना जो यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उपयोगी हों कि वाटरशेड कार्यक्रम देश में वर्षासिंचित क्षेत्रों के समग्र तथा सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बन गये हैं ।

20. केन्द्र स्तर पर नोडल एजेंसी के लिए वित्तीय सहायता मौजूदा कर्मचारियों तथा पहले से उपलब्ध आधार-भूत संरचना तथा वास्तविक आवश्यकता की उपयुक्त समीक्षा करने के पश्चात् मुख्यतः संबंधित विभाग /मंत्रालय के बजट से प्राप्त होगी। यह राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय, दोनों प्रकार के अन्य संस्थानों तथा एजेंसियों, निगमित निकायों तथा ऐसे अन्य संगठनों जो वाटरशेड पद्धति पर कार्यक्रमों की सहायता करना चाहते हों, से भी सहायता प्राप्त कर सकती है।

4.3 राष्ट्र स्तर पर आंकड़ा केन्द्र और राष्ट्रीय पोर्टल :

21. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) के समग्र तत्वावधान में राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र तथा राष्ट्रीय पोर्टल वाटरशेड और भूमि संसाधन संबंधी सूचना, आंकड़ों तथा जानकारी के विस्तार, भण्डारण और सृजन के लिए एक राष्ट्र स्तरीय सुविधा होगी। राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र (एन.डी.सी.) समग्र देश के लिए संक्षिप्त आंकड़ों, पुरालेखीय आंकड़ों, कार्यक्रम और निधियाँ जारी करने संबंधी प्रबंधन के संबंध में

आंकड़ों को एकत्रित करेगा। इस केन्द्र को भूकर (कैडस्ट्रल), वाटरशेड, मृदा, भूमि उपयोग, सामाजिक-आर्थिक मानदण्डों, बसावट आदि के संबंध में विभिन्न जी.आई.एस. थीमैटिक संस्तरों से लैस किए जाने की योजना है। इसके पास क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, ग्रामीण रोजगार, भूमि उपयोग आयोजना के लिए अनुप्रयोग सहायता, समेकित संस्तरों के लिए सर्वोपयोगी आँकड़े (मास्टर डाटा) तथा जिला स्तरीय आयोजना और निगरानी के लिए उच्च स्तरीय जी.आई.एस. आंकड़े भी उपलब्ध होंगे।

4.4 राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी

22. राज्य सरकार द्वारा एक समर्पित राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) (विभाग/ मिशन/ सोसाइटी/ प्राधिकरण) का गठन किया जाएगा, जिसका एक स्वतंत्र बैंक खाता होगा। राज्य को किसी मौजूदा राज्य स्तरीय एजेंसी/ विभाग/ संगठन को उपयोग में लाने या उसे सुदृढ़ बनाने की छूट दी जानी चाहिए। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) के लिए केन्द्रीय सहायता सीधे ही एस0एल0एन0ए0 के खाते में अंतरित की जाएगी और इसे राज्य सरकार के बजट में शामिल नहीं किया जाएगा।

23. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) विभागीय नोडल एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी जिसमें एस.एल.एन.ए. को निधियाँ जारी करने से संबंधित शर्तों सहित कार्य-निष्पादन, समय सीमाओं तथा वित्तीय मानदण्डों के संबंध में परस्पर प्रत्याशाओं को निर्दिष्ट किया जाएगा। एस.एल.एन.ए. के द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा राज्य आँकड़ा प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए समर्थकारी तंत्र उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा और केन्द्र सरकार/ विभाग में केन्द्र स्तरीय नोडल एजेंसी को नियमित रूप से रिपोर्ट करने को सुनिश्चित करना होगा। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तर पर बहु-विधा सम्पन्न व्यावसायिक सहायता दल होगा।

24. विकास आयुक्त/ अपर मुख्य सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त/ संबंधित विभाग का प्रधान सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित उनके समकक्ष कोई अधिकारी राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) का अध्यक्ष होगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी में एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जो प्रतिनियुक्ति पर सेवारत सरकारी अधिकारी या राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी में कम से कम तीन वर्षों की अन्यून अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त व्यक्ति होगा। ऐसी संविदा में नियुक्ति की शर्तें तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य निर्दिष्ट किए जाएंगे जिनके संदर्भ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य निष्पादन की गहन निगरानी की जाएगी।

25. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) में एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) से, एक प्रतिनिधि केन्द्रीय नोडल मंत्रालय से, एक प्रतिनिधि नाबार्ड से, एक-एक प्रतिनिधि राज्य के ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन विभाग तथा संबद्ध क्षेत्र से, एक प्रतिनिधि भू-जल बोर्ड से और एक प्रतिनिधि किसी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठन से तथा दो व्यावसायिक विशेषज्ञ राज्य के अनुसंधान संस्थानों/अकादमियों से शामिल होंगे। इसके अलावा, इसमें एन.आर.ई.जी.ए., बी.आर.जी.एफ. तथा राज्य स्तर पर अन्य संबद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों का भी प्रतिनिधित्व होगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार राज्य की अनुमोदित संदर्शी तथा कार्यनीतिक योजना के आधार पर राज्य के लिए वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत करेगी और इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्दिष्ट किए गए मानदण्डों के अंतर्गत राज्य में सभी वाटरशेड परियोजनाओं पर निगरानी रखेगी।

26. 4 से 7 व्यावसायिक विशेषज्ञों का एक दल राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की सहायता करेगा। इस दल का चयन राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा या तो समनुरूप विभागों में उपलब्ध विशेषज्ञों में से प्रतिनियुक्ति पर किया जाएगा अथवा ऐसे विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में इन्हें पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा खुले बाजार से संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। इनके विषय क्षेत्र में अन्य विषयों के साथ-साथ कृषि, जल प्रबंधन, क्षमता निर्माण, सामाजिक एकजुटता, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन तथा वित्त/ लेखा आदि विषय शामिल होंगे। इस विशेषज्ञ दल की अपेक्षित संख्या में प्रशासनिक कर्मचारी सहायता करेंगे।

27. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) के मुख्य कार्य निम्नानुसार होंगे:-

क. ब्लॉक तथा जिला स्तर पर तैयार की गई योजनाओं के आधार पर राज्य के लिए वाटरशेड विकास की संदर्शी तथा कार्यनीतिक योजना तैयार करना और कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीति तथा प्रत्याशित उपलब्धियों/ परिणामों, वित्तीय परिचयों को सूचित करना तथा मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए विभाग में केन्द्र स्तरीय नोडल एजेंसी से सम्पर्क करना।

ख. राज्यों को स्वीकृत निधियों से राज्य स्तरीय आँकड़ा प्रकोष्ठ स्थापित करना तथा इसका रख-रखाव करना और राष्ट्र स्तरीय आँकड़ा केन्द्र के साथ इसे ऑन लाइन जोड़ना।

- ग. पूरे राज्य में जिला वाटरशेड विकास इकाइयों (डी.डब्ल्यू.डी.यू.) को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना ।
- घ. राज्य के भीतर विभिन्न भागीदारों के क्षमता निर्माण के लिए स्वतंत्र संस्थाओं की एक सूची अनुमोदित करना और एन.आर.ए.ए./ नोडल मंत्रालय के परामर्श से समग्र क्षमता निर्माण संबंधी कार्यनीति तैयार करना।
- ङ. समुचित विषयनिष्ठ चयन मानदण्डों तथा पारदर्शी प्रणालियों को अपनाकर डी.डब्ल्यू.डी.यू./ जिला स्तरीय समिति द्वारा अभिज्ञात/चयनित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुमोदित करना।
- च. विभिन्न स्तरों (आंतरिक एवं बाह्य / स्वतंत्र प्रणालियों) पर निगरानी, मूल्यांकन तथा ज्ञानार्जन प्रणालियाँ स्थापित करना ।
- छ. केन्द्र स्तरीय नोडल एजेंसी के सहयोग से राज्य में वाटरशेड परियोजनाओं की नियमित तथा गुणवत्तापूर्ण ऑन लाइन मॉनीटरिंग सुनिश्चित करना तथा स्वतंत्र एवं सक्षम एजेंसियों के साथ साझेदारी विकसित करके सूचना प्राप्त करना।
- ज. राज्य के भीतर सभी वाटरशेड परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र संस्थागत मूल्यांकनकर्ताओं की एक सूची (पैनल) तैयार करना, इस सूची को केन्द्र स्तर पर संबंधित नोडल एजेंसियों से विधिवत रूप से अनुमोदित करवाना तथा यह सुनिश्चित करना कि गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन का कार्य नियमित आधार पर किया जाता है।
- झ. नोडल मंत्रालय/ एन.आर.ए.ए. के साथ समन्वय से राज्य विशिष्ट प्रक्रिया मार्गदर्शी सिद्धांत, प्रौद्योगिकी मैनुअल आदि तैयार करना तथा इन्हें लागू करना ।

28. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी तथा राज्य स्तरीय आँकड़ा प्रकोष्ठ के लिए वित्तपोषण सहायता मुख्यतः मौजूदा कर्मचारी तथा पहले से उपलब्ध अवसंरचना तथा वास्तविक आवश्यकता की उपयुक्त समीक्षा करने के पश्चात् भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट से दी जाएगी। यह राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अन्य संस्थानों तथा एजेंसियों, निगमित निकायों तथा ऐसे अन्य संगठनों जो

वाटरशेड पद्धति के आधार पर कार्यक्रमों की सहायता करना चाहते हों, से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी तथा राज्य स्तरीय आँकड़ा प्रकोष्ठ को स्थापना लागत की पूर्ति हेतु आरंभिक पूंजी अनुदान तथा इनके वार्षिक व्ययों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। वास्तविक राशि पहले से उपलब्ध कर्मचारी तथा अवसंरचना के स्तर तथा वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करेगी। उस समय तक, जब तक कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) की स्थापना की जाती है, परियोजना स्वीकृत करने तथा निधियाँ जारी करने संबंधी मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। तथापि, राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों की छः महीनों की अवधि के भीतर स्थापना करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

4.5 जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)

29. उन जिलों में, जहाँ पर वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र लगभग 25,000 हैक्टेयर है, जिला स्तर पर एक पृथक समर्पित इकाई, जिसे जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.) कहा जाएगा, स्थापित की जाएगी, जो प्रत्येक जिले में वाटरशेड कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर नजर रखेगी और इस प्रयोजन के लिए उसका एक अलग स्वतंत्र खाता होगा। जहाँ वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र लगभग 25000 हैक्टेयर से कम है, वहाँ परियोजनाएं मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाएंगी। तथापि ऐसे मामलों में जिला स्तर पर वाटरशेड परियोजनाओं के समन्वय हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अंतर्गत अनन्य रूप से एक अधिकारी को संविदा आधार पर या प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा। जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.) जिला आयोजना समिति के साथ घनिष्ठ समन्वय से कार्य करेगी। जिला वाटरशेड विकास इकाई में जिला स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) की कार्यान्वयन एजेंसियों का भी प्रतिनिधित्व होगा। विकल्प के रूप में, जिला स्तरीय समिति/ कलेक्टर द्वारा परियोजना के अनुमोदन तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है।

30. जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.) एक पृथक इकाई होगी जिसमें पूर्णकालिक परियोजना प्रबंधक तथा कृषि/ जल प्रबंधन/ सामाजिक संघटन/ प्रबंधन तथा लेखा के 3 से 4 विषय-वस्तु विशेषज्ञ शामिल होंगे जिन्हें उनकी योग्यता तथा विशेषज्ञता के आधार पर संविदा/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण आदि के आधार पर नियुक्त

किया जाएगा। परियोजना प्रबंधक, डी.डब्ल्यू.डी.यू. प्रतिनियुक्ति पर सेवारत सरकारी अधिकारी होगा या उसकी भर्ती पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से खुले बाजार से की जाएगी। यदि वह सेवारत सरकारी अधिकारी है तो उसकी तैनाती राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। यदि भर्ती खुले बाजार से किया जाना आवश्यक हो तो यह कार्य एस.एल.एन.ए. द्वारा किया जाएगा। परियोजना प्रबंधक, डी.डब्ल्यू.डी.यू. (तीन वर्षों से अन्यून अवधि के लिए) एस.एल.एन.ए. के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें सुनिर्धारित वार्षिक लक्ष्यों का उल्लेख किया जाएगा, जिनके आधार पर उसके कार्य-निष्पादन की निरंतर निगरानी की जाएगी। जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.)/ जिला आँकड़ा प्रकोष्ठ स्थापित करने तथा इन्हें सुदृढ़ बनाने संबंधी व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कर्मचारी, अवसंरचना तथा वास्तविक आवश्यकता की समीक्षा के पश्चात् भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

31. जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.) के कार्य निम्नानुसार होंगे :

(क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सूची बनाने की प्रक्रिया के अनुसार एस.एल.एन.ए. के साथ परामर्श से संभावित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान करना।

(ख) संबंधित जिलों में वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए कार्यनीतिक तथा वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने को सुविधाजनक बनाने की पूर्ण जिम्मेवारी लेना।

(ग) वाटरशेड विकास परियोजनाओं की आयोजना तथा कार्यान्वयन में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पी.आई.ए.) को व्यावसायिक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

(घ) क्षमता निर्माण संबंधी कार्य योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए संसाधन संगठनों की घनिष्ठ भागीदारी से क्षमता निर्माण हेतु कार्य योजनाएं तैयार करना।

(ङ) निगरानी, मूल्यांकन तथा ज्ञानार्जन का कार्य नियमित रूप से करना।

(च) वाटरशेड विकास परियोजनाओं को निधियाँ सुचारु रूप से जारी किए जाने को सुनिश्चित करना।

(छ) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) / केन्द्र स्तर पर विभाग की नोडल एजेंसी को अपेक्षित दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करना।

(ज) उत्पादकता तथा जीविका के साधनों में वृद्धि करने हेतु कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास, पशु पालन आदि के संगत कार्यक्रमों का वाटरशेड विकास परियोजनाओं के साथ समन्वय को सुविधाजनक बनाना ।

(झ) वाटरशेड विकास परियोजनाओं/ योजनाओं को जिला आयोजना समितियों की जिला योजनाओं के साथ समेकित करना । वाटरशेड परियोजनाओं के समस्त व्यय को जिला योजनाओं में प्रदर्शित किया जाएगा ।

(ञ) जिला स्तरीय आंकड़ा प्रकोष्ठ को स्थापित करना तथा इसका रख-रखाव करना और इसे राज्य स्तरीय तथा राष्ट्र स्तरीय आंकड़ा केन्द्र के साथ जोड़ना।

4.6 जिला तथा मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

32. जिले के भीतर वाटरशेड कार्यक्रम की निगरानी करने की पूरी जिम्मेदारी जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.) की होगी जो जिला आयोजना समिति(डी0पी0सी0) के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करेगी। जिला आयोजना समिति कार्यक्रम को पूर्ण शासीय सहायता उपलब्ध कराएगी। डी0पी0सी0 जिले में वाटरशेड परियोजनाओं से संबंधित संदर्शी तथा वार्षिक कार्य योजनाएं अनुमोदित करेगी। डी0पी0सी0 वाटरशेड विकास योजनाओं को सभी जिला योजनाओं के साथ समेकित करेगी और इसके कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी। डी.डब्ल्यू.डी.यू. कार्यक्रम के पर्यवेक्षण तथा नियमित रूप से निगरानी एवं मूल्यांकन करने में डी0पी0सी0 की सहायता करेगी। जिला पंचायत/जिला परिषद की वाटरशेड विकास परियोजनाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं का समन्वय करने , प्रगति की समीक्षा करने, विवादों का निपटान करने, आदि से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण शासी भूमिका होगी। जहां पंचायत प्रणाली प्रचलन में नहीं है वहां पर यह भूमिका डी.डब्ल्यू.डी.यू./जिला स्वायत्त परिषदों द्वारा अदा की जाएगी।

33. इसी प्रकार, मध्यवर्ती पंचायतों की मध्यवर्ती स्तर पर वाटरशेड विकास परियोजनाओं की आयोजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वे अपने विषय विशेषज्ञों की सहायता से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों तथा ग्राम

पंचायतों/ग्राम वाटरशेड समितियों को तकनीकी मार्गदर्शन के रूप में उपयोगी सहायता उपलब्ध करा सकती हैं।

5. परियोजना स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं

5.1 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी0आई0ए0)

34. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस0एल0एन0ए0) उन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पी.आई.ए.)के चयन तथा अनुमोदन हेतु उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करेगी, जो विभिन्न जिलों में वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी। इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों में राज्य/केन्द्र सरकार के अंतर्गत संगत समनुरूप विभागों, स्वायत्त संगठनों, सरकारी संस्थानों /अनुसंधान निकायों, मध्यवर्ती पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों(वी0ओ0) को शामिल किया जा सकता है। तथापि इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा:-

- उन्हें अधिमानतः वाटरशेड संबंधित पहलुओं या वाटरशेड विकास परियोजनाओं के प्रबंधन में पूर्व अनुभव होना चाहिए।
- उन्हें समर्पित वाटरशेड विकास दलों के गठन के लिए तैयार होना चाहिए।

35. स्वयंसेवी संगठनों (वी0ओ0) की कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उनकी सेवाएं अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, आई0ई0सी0 तथा सामाजिक लेखाजोखा के क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से उपयोग में लायी जाएंगी। जहां तक कार्यक्रम के सीधे ही कार्यान्वयन का संबंध है, नीचे दिए गए विस्तृत मानदंडों के आधार पर प्रमाणित पूर्ववृत्त वाले स्वयंसेवी संगठनों (वी0ओ0) का परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चयन किया जा सकता है।

35.1 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चयन किए जाने हेतु स्वयंसेवी संगठनों (वी0ओ0) द्वारा निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा-

(क) यह कम से कम 5 वर्षों की अवधि से एक पंजीकृत विधिक इकाई होनी चाहिए।

- (ख) इसे सामुदायिक आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा जीविका विकास के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का क्षेत्र अनुभव होना चाहिए।
- (ग) इसे कपार्ट या भारत सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाला गया नहीं होना चाहिए।
- (घ) इसे महिला-पुरुष समानता वाले एक समर्पित बहु-विधा सम्पन्न दल से लैस होना चाहिए।
- (ङ) इसे तीन वर्षों का तुलन पत्र, लेखों के लेखापरीक्षित विवरण तथा आय विवरणियां प्रस्तुत करनी चाहिए। संगठन के सभी लेखे अद्यतन होने चाहिए।
- (च) इसे अपने निदेशक मंडल का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए।
- (छ) इसके द्वारा स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हों।

35.2 यह निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा:

- (i) किसी भी समय पर एक स्वयंसेवी संगठन को एक जिले में 10,000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता है।
- (ii) किसी भी समय पर एक स्वयंसेवी संगठन को एक राज्य में 30,000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता है।
- (iii) किसी भी मामले में एक राज्य में एक समय पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कुल परियोजनाओं की एक चौथाई परियोजनाओं से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की जाएंगी।

36. चयनित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ पैरा 29 में यथा उल्लिखित संबंधित डी0डब्ल्यू0डी0यू0/ जिला स्तरीय समिति के साथ एक संविदा/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी जिसमें सु-निर्धारित वार्षिक परिणामों का उल्लेख किया जाएगा, जिसके आधार पर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के कार्य-निष्पादन की निगरानी की जाएगी तथा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस0एल0एन0ए0)/केन्द्रीय स्तर पर विभागीय नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदित किसी सूची में से संस्थागत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा इसका नियमित आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

37. प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा डी0डब्ल्यू0डी0यू0 के अनुमोदन से एक समर्पित वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू0डी0टी0) की अवश्य ही व्यवस्था की जाएगी। वाटरशेड विकास दल को परियोजना अवधि से अनधिक अवधि के लिए संविदा/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण आदि के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। वाटरशेड विकास दल के गठन को संविदा/समझौता ज्ञापन में दर्शाया जाएगा। किसी भी

परिस्थिति में किसी भी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी अथवा वाटरशेड समिति (डब्ल्यू0सी0) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तथा वाटरशेड कार्यों के लिए तब तक कोई कार्यक्रम निधियां जारी नहीं की जाएंगी जब तक कि वाटरशेड विकास दल के गठन का समझौता ज्ञापन/संविदा में स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो और दल के सदस्य पूर्णतः तैनात न कर दिए गए हों।

5.2 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका और उत्तरदायित्व

38. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी0आर0ए0) प्रक्रिया के जरिए वाटरशेड के संबंध में विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु ग्राम पंचायतों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगी, ग्राम समुदायों के लिए सामुदायिक संगठन और प्रशिक्षण का कार्य शुरू करेगी, वाटरशेड विकास कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगी, परियोजना लेखों का निरीक्षण और उन्हें प्रमाणित करेगी, किफायती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और स्वदेशी तकनीकी जानकारी के संवर्धन को प्रोत्साहन देगी, समग्र परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करेगी तथा परियोजना उपरांत प्रचालन और अनुरक्षण के लिए तथा परियोजना अवधि के दौरान सृजित की गई परिसम्पतियों के आगे और विकास के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित करेगी।

39. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ध्यानपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् डी0डब्ल्यू0डी0यू0 /डी0आर0डी0ए0 के अनुमोदन हेतु वाटरशेड विकास परियोजना के संबंध में कार्य योजना तथा अन्य व्यवस्थाएं प्रस्तुत करेगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी डी0डब्ल्यू0डी0यू0 को आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी आरंभ किए गए कार्यों के वास्तविक, वित्तीय तथा सामाजिक लेखापरीक्षा की भी व्यवस्था करेगी। यह सरकार के अन्य कार्यक्रमों जैसे एन0आर0ई0जी0ए0, बी0आर0जी0एफ0, एस0जी0आर0वाई0, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जनजातीय कल्याण योजनाएं, भू-जल की कृत्रिम पुनः भराई, हरित भारत (ग्रीनिंग इंडिया) आदि कार्यक्रमों से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने को सुविधाजनक बनाएगी।

5.3 वाटरशेड विकास दल

40. वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू0डी0टी0) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी0आई0ए0) का एक अभिन्न भाग है और इसे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गठित किया जाएगा। प्रत्येक वाटरशेड विकास दल में मुख्यतः कृषि, मृदा विज्ञान, जल प्रबंधन, सामाजिक संघटन तथा संस्थागत निर्माण में व्यापक जानकारी और अनुभव रखने वाले कम से कम चार सदस्य शामिल होने चाहिए। डब्ल्यू.डी.टी. में कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए। वाटरशेड विकास दल के सदस्यों के पास अधिमानतः कोई व्यावसायिक डिग्री होनी चाहिए। तथापि, शैक्षिक योग्यता में अभ्यर्थी के व्यावहारिक क्षेत्रीय अनुभव को ध्यान में रखते हुए उचित मामलों में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अनुमोदन से जिला वाटरशेड विकास इकाई द्वारा छूट दी जा सकती है। वाटरशेड विकास दल को, जहां तक संभव हो, वाटरशेड परियोजना के निकट ही अवस्थित किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाटरशेड विकास दल को जिला तथा राज्य स्तर पर विशेषज्ञों के दल के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करना चाहिए। वाटरशेड विकास दल के सदस्यों के वेतन संबंधी व्यय को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की प्रशासनिक सहायता में से प्रभारित किया जाएगा। जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.), वाटरशेड विकास दल के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु सुविधा उपलब्ध कराएगी।

5.4 वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू0डी0टी0) की भूमिका और उत्तरदायित्व

41. वाटरशेड विकास दल वाटरशेड कार्य योजना तैयार करने में वाटरशेड समिति (डब्ल्यू0सी0) का मार्गदर्शन करेगा। वाटरशेड विकास दल की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों की निदर्शित सूची में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:-

- (क) ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की वाटरशेड समिति के गठन में और इसके कार्यकरण में सहायता करना।
- (ख) प्रयोक्ता समूहों तथा स्व-सहायता समूहों का गठन करना तथा इन्हें पोषित करना।
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाटरशेड कार्य योजना में महिलाओं के प्रति संभावनाओं तथा उनके हितों को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया गया है, महिलाओं को संगठित करना।
- (घ) सहभागी आधारमूलक सर्वेक्षण करना, प्रशिक्षण देना तथा क्षमता निर्माण करना।
- (ङ) परिवार स्तर पर सतत जीविका साधनों को बढ़ावा देने के लिए जल तथा भूमि संरक्षण या भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाने सहित विस्तृत संसाधन विकास योजनाएं तैयार करना।

- (च) सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन प्रबंधन तथा समान भागीदारी।
- (छ) ग्राम सभा के विचारार्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार करना।
- (ज) निर्मित की जाने वाली किसी भी संरचना के लिए इंजीनियरी सर्वेक्षण करना, इंजीनियरी अभिकल्प तथा लागत अनुमान तैयार करना।
- (झ) किए गए कार्य की निगरानी, जांच, आकलन, वास्तविक सत्यापन और मापन का कार्य करना।
- (ञ) भूमिहीनों के लिए जीविका अवसरों के विकास में सहायता करना।
- (ट) परियोजना लेखों का रख-रखाव करना ।
- (ठ) आरंभ किए गए कार्य की वास्तविक, वित्तीय तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा की व्यवस्था करना।
- (ड) परियोजनोपरांत प्रचालन, अनुसूक्षण तथा परियोजना अवधि के दौरान सृजित की गई परिसम्पत्तियों का भविष्य में विकास करने हेतु उपयुक्त व्यवस्थाएं स्थापित करना।

6. ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं तथा लोगों की भागीदारी

6.1 स्व-सहायता समूह

42. वाटरशेड समिति(डब्ल्यू.सी.), वाटरशेड विकास दल की सहायता से गरीब, छोटे तथा सीमान्त किसानों के परिवारों, भूमिहीन/सम्पत्तिहीन गरीब, खेतिहर मजदूरों, महिलाओं, चरवाहों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से वाटरशेड क्षेत्र में स्व-सहायता समूह गठित करेगी। ये समूह समान पहचान तथा हित वाले समरूप समूह होंगे, जो अपनी जीविका के लिए वाटरशेड क्षेत्र पर निर्भर हैं। प्रत्येक स्व-सहायता समूह को नोडल मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि की परिक्रामी निधि उपलब्ध करायी जाएगी।

6.2 प्रयोक्ता समूह

43. वाटरशेड समिति(डब्ल्यू.सी.) वाटरशेड विकास दल की सहायता से वाटरशेड क्षेत्र में प्रयोक्ता समूह भी गठित करेगी। ये प्रत्येक कार्य/कार्यकलाप से अत्यधिक प्रभावित व्यक्तियों के समनुरूप समूह होंगे और इनमें वाटरशेड क्षेत्र में भूमि-जोत रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। प्रत्येक प्रयोक्ता समूह में वे लोग शामिल होंगे जिन्हें वाटरशेड संबंधी किसी विशिष्ट कार्य या कार्यकलाप

से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होने की संभावना है। वाटरशेड समिति वाटरशेड विकास दल की सहायता से समानता और सततता के सिद्धान्तों के आधार पर प्रयोक्ता समूहों के बीच संसाधन उपयोग करारों को सुविधाजनक बनाएगी। इन करारों को संबंधित कार्य शुरू किए जाने से पूर्व अवश्य ही तैयार कर लेना चाहिए। इसे उस कार्यकलाप के लिए पूर्व-शर्त के रूप में माना जाना चाहिए। प्रयोक्ता समूह, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा के घनिष्ठ सहयोग से परियोजना के अंतर्गत सृजित सभी परिसम्पत्तियों के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

6.3 वाटरशेड समिति (डब्ल्यू0सी0)

44. ग्राम सभा वाटरशेड विकास दल की तकनीकी सहायता से वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित करने के लिए गांव में वाटरशेड समिति (डब्ल्यू0सी0) गठित करेगी। वाटरशेड समिति को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाना होगा। ग्राम सभा गांव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित/नियुक्त कर सकती है। वाटरशेड समिति का सचिव वाटरशेड समिति का वैतनिक कार्यकर्ता होगा। वाटरशेड समिति में कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिनमें से आधे सदस्य गाँव में स्व-सहायता समूहों तथा प्रयोक्ता समूहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातीय समुदाय, महिलाओं तथा भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे। वाटरशेड विकास दल का एक सदस्य वाटरशेड समिति में भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होगा। जहां एक पंचायत में एक से अधिक गांव शामिल हों, वहां वे संबंधित गाँव में वाटरशेड विकास परियोजना के प्रबंधन हेतु प्रत्येक गाँव के लिए एक पृथक उप-समिति गठित करेंगे। जहां एक वाटरशेड परियोजना में एक से अधिक पंचायतें शामिल होंगी वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग से समितियां गठित की जाएंगी। वाटरशेड समिति को किराए पर एक स्वतंत्र कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

45. वाटरशेड समिति वाटरशेड परियोजनाओं के लिए निधियां प्राप्त करने हेतु एक पृथक बैंक खाता खोलेगी और इस निधि को अपने कार्यकलापों को करने के लिए उपयोग में लाएगी। वाटरशेड विकास दल के सदस्यों तथा वाटरशेड समिति के सचिव के वेतनों संबंधी व्यय को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को व्यावसायिक सहायता के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय मद में से प्रभारित किया जाएगा।

6.4 सचिव, वाटरशेड समिति

46. ग्राम वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.) के सचिव का चयन ग्राम सभा की बैठक में किया जाएगा। यह व्यक्ति एक स्वतंत्र वेतनभोगी कार्यकर्ता होगा जो पंचायत सचिव से अलग एवं पृथक होगा। वह एक समर्पित कार्यकर्ता होगा जिसके पास वाटरशेड समिति की सहायता करने के अलावा कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं होगी और वह वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगा और उसका चयन योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। वाटरशेड समिति के सचिव को अदा किए जाने वाले मानदेय से संबंधित व्यय को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को प्रशासनिक सहायता मद में से प्रभारित किया जाएगा। वाटरशेड समिति का सचिव निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा:-

- (क) वाटरशेड विकास परियोजना के संदर्भ में निर्णय करने की प्रक्रियाओं को सुसाध्य बनाने हेतु ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वाटरशेड समिति की बैठकें आयोजित करना।
- (ख) सभी निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- (ग) परियोजना कार्यकलापों तथा ग्राम पंचायत, वाटरशेड समिति तथा वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी अन्य संस्थाओं की बैठकों की कार्यवाहियों के सभी अभिलेखों को रखना।
- (घ) भुगतानों तथा अन्य वित्तीय लेन-देनों को सुनिश्चित करना।
- (ङ) वाटरशेड समिति की ओर से वाटरशेड विकास दल के नामिती के साथ चैकों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।

6.5 ग्राम पंचायत की भूमिका

47. ग्राम पंचायत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करेगी :-

- (क) समय-समय पर वाटरशेड समिति का पर्यवेक्षण करना, उसे सहायता देना और सलाह देना।
- (ख) वाटरशेड समिति तथा वाटरशेड परियोजना की अन्य संस्थाओं के लेखों/व्यय विवरणों को प्रमाणित करना।
- (ग) वाटरशेड विकास परियोजना की संस्थाओं के लिए विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के एकीकरण को सुविधाजनक बनाना ।

- (घ) वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अंतर्गत परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों का इन्हें वाटरशेड विकास परियोजना के पूरा होने के बाद भी रखने के उद्देश्य से रख-रखाव करना।
- (ङ) वाटरशेड समिति को कार्यालय हेतु स्थान मुहैया कराना तथा अन्य आवश्यकताएं पूरी करना ।
- (च) पात्र प्रयोक्ता समूहों/ स्व-सहायता समूहों को सृजित की गई परिसम्पत्तियों के संबंध में भोगाधिकार प्रदान करना ।

7. वाटरशेड परियोजनाओं के चयन के लिए मानदण्ड

48. वाटरशेड विकास परियोजनाओं के चयन में और प्राथमिकता निर्धारित करने में निम्नलिखित मानदण्डों को व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाएगा :-

- (क) पेयजल की अत्यधिक कमी ।
- (ख) भू-जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
- (ग) बंजरभूमि/ अवक्रमित भूमि की अधिकता ।
- (घ) पहले ही विकसित/ सुधार किए जा चुके किसी अन्य वाटरशेड के साथ निकटता।
- (ङ) स्वैच्छिक रूप से योगदान करने, सामान्य सम्पत्ति संसाधनों को बांटने के लिए समान सामाजिक विनियमों को लागू करने, लाभों का समान वितरण करने तथा सृजित की गई परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रखरखाव हेतु व्यवस्थाएं करने के लिए ग्रामीण समुदाय की सहमति होना।
- (च) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों का अनुपात ।
- (छ) परियोजना का क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए ।
- (ज) भूमि की उत्पादन क्षमता ।

8. परियोजना प्रबंधन

49. वाटरशेड विकास परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों को (i) प्रारंभिक चरण (ii) कार्य चरण और (iii) समेकन तथा निवर्तन चरण के रूप में क्रमबद्ध किया जाएगा। वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़ाए गए कार्यक्षेत्र तथा प्रत्याशाओं को मद्देनजर

रखते हुए परियोजना की अवधि, कार्यकलापों और मंत्रालयों/ विभागों पर निर्भर करते हुए चार से सात वर्षों के बीच हो सकती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) में प्रस्तावित परियोजना अवधि के संबंध में विस्तृत रूप से औचित्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परियोजना अवधि को नोडल मंत्रालय के निर्णयानुसार तथा नीचे दिए गए अनुसार तीन अलग-अलग चरणों में बांटा जा सकता है :-

चरण	नाम	अवधि
I	प्रारंभिक चरण	1-2 वर्ष
II	वाटरशेड कार्य चरण	2-3 वर्ष
III	समेकन और निवर्तन चरण	1-2 वर्ष

8.1 प्रारंभिक चरण

50. इस चरण का मुख्य उद्देश्य सहभागिता पद्धति को अपनाने तथा स्थानीय संस्थाओं [वाटरशेड समिति(डब्ल्यू.सी.), स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) तथा प्रयोक्ता समूह (यू.जी.)] को अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु उपयुक्त तंत्र का निर्माण करना है। इस चरण के दौरान वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) एक सुविधाप्रदाता की भूमिका अदा करेगा। इस चरण में, मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल होंगे :-

(क) वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू डी टी) की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करना तथा ग्रामीण समुदाय के साथ संबंध स्थापित करना। प्रारंभिक कार्यकलापों में अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल होंगे--

(i) स्थानीय समुदायों की तत्काल आवश्यकताओं पर आधारित कार्य जैसे सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधनों को पुनः उपयोग योग्य बनाना, पेयजल की उपलब्धता बढ़ाना, स्थानीय ऊर्जा शक्यता का विकास करना, भू- जल शक्यता का संवर्द्धन करना आदि।

(ii) पूर्व में किए गए सार्वजनिक निवेश तथा पारम्परिक जल ग्रहण संरचनाओं से इष्टतम और सतत लाभ प्राप्त करने हेतु मौजूदा सार्वजनिक सम्पत्ति, परिसम्पत्तियों तथा संरचनाओं (जैसे गाँव के टैंक) की मरम्मत करने, पुनः उपयोग योग्य बनाने तथा उनका उन्नयन करने का कार्य शुरू किया जा सकता है।

(iii) मौजूदा कृषि प्रणालियों की उत्पादकता का संवर्द्धन करना भी एक ऐसा कार्यकलाप हो सकता है, जिससे सामुदायिक संघटन तथा संबंध स्थापित करने में सहायता मिल सकती है।

(ख) ग्राम स्तरीय संस्थाओं जैसे वाटरशेड समितियों (डब्ल्यू. सी.), स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) तथा प्रयोक्ता समूहों (यू.जी.) की विकास प्रक्रिया को शुरू करना तथा संस्थागत और कार्य से संबंधित पहलुओं के विभिन्न भागीदारों में क्षमता निर्माण करना ।

(ग) पर्यावरण निर्माण, जागरूकता सृजन, सघन सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) कार्यक्रमलाप शुरू करना, सहभागिता तथा भागीदारी उत्तरदायित्व सृजित करना ।

(घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने, कार्य स्थलों तथा लाभार्थियों का चयन करने हेतु आधारिक सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता होती है। महिलाओं की स्थिति तथा प्राथमिकताओं को पर्याप्त रूप से दर्शाने के लिए स्त्री-पुरुष संबंधी अव्यस्थित आँकड़ों को एकत्रित करने हेतु प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए ।

(ङ) भू-जल की पुनः भराई, भण्डारण तथा भू-जल के सतत् उपयोग की संभाव्यता वाले क्षेत्रों का मानचित्रण तैयार करने हेतु वाटरशेड का जलीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना ।

(च) तकनीकी सहायता एजेंसियों का नेटवर्क तैयार करना ।

(छ) किए जाने वाले कार्यों, लाभार्थियों और कार्य-स्थलों के चयन तथा सभी कार्यों की रूपरेखा और लागत अनुमानों को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) तैयार करना, और यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और भूमिहीनों के हितों, संभावनाओं तथा प्राथमिकताओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) में पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है।

(ज) समानता और सततता के सिद्धांतों पर आधारित सहभागिता पद्धति में प्रयोक्ता समूह के सदस्यों के बीच संसाधन-उपयोग संबंधी विस्तृत करार (सतही जल, भू-जल और सार्वजनिक / वन भूमि भोगाधिकारों के लिए) तैयार करना।

(झ) प्रगति और प्रक्रियाओं की सहभागी आधार पर निगरानी ।

51. **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) तैयार करना:** जिला स्तर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है, जिसमें किसी एक अभिज्ञात परियोजना क्षेत्र के लिए वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) द्वारा सहायता दी जानी होगी। संसाधन नक्शों तथा भू-कर मानचित्रों के रूप में तकनीकी निविष्टियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) के समग्र आँकड़ा आधार को प्रारम्भिक अवस्था में ही एक संरचित दस्तावेज के रूप में क्रमबद्ध ढंग से शामिल किया जाना आवश्यक है।

52. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) तैयार करने के लिए एक ठोस सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.) प्रक्रिया और निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के विकास हेतु भू-कर आंकड़ा-आधार से लिंकेज के साथ अलग-अलग रूप में व्यापक लाभार्थी आँकड़ा आधार अपेक्षित है। इससे कार्रवाई योजना का स्थानिक चित्रण करने में सुविधा होगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल होनी चाहिए :-

(क) वाटरशेड के संबंध में आधारभूत सूचना जिसमें भौगोलिक संयोजन, स्थलाकृति, जल विज्ञान, जल भूविज्ञान, मृदा, वन, जनसांख्यिकीय विशेषताएं, समुदायों का जातीय ब्यौरा, भूमि उपयोग पद्धति, मुख्य फसलें तथा उनकी उत्पादकता, सिंचाई साधन, पशुधन, सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि सहित वर्षा, तापमान, स्थान आदि शामिल होंगे।

(ख) संभावित/ प्रस्तावित प्रयोक्ता समूहों तथा स्व-सहायता समूहों का ब्यौरा, निजी भूमि/ सार्वजनिक भूमि कार्यकलापों के संबंध में मूल सारणियाँ, वाटरशेड विकास निधियों में अंशदान, मृदा तथा भूमि उपयोग के संबंध में सूचना, जल संग्रहण, जल की पुनः भरवाई तथा भण्डारण आदि से संबंधित मौजूदा परिसम्पत्तियों को भू-खण्ड (प्लॉट) वार मुहैया कराये जाने की आवश्यकता है।

(ग) वाटरशेड की समस्याओं का वर्गीकरण, जिसमें ऐसी मुख्य समस्याएं शामिल हों जिनके कारण से आजीविका शक्यता / निष्पादन क्षमता बढ़ाने तथा इसके साथ-साथ संसाधनों के संरक्षण और उन्हें पुनः सृजित करने की दृष्टि से हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित हो।

(घ) वाटरशेड विकास दल द्वारा प्रमाणित तकनीकी ब्यौरों तथा ड्राइंगों सहित प्रस्तावित हस्तक्षेपों (वास्तविक और वित्तीय हस्तक्षेपों की समय-सारणी सहित) का विवरण।

(ङ) नक्शे तैयार करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं।

(च) सहभागी आधार पर निर्णय लेने, लाभों में समानता और सततता तथा परियोजना उपरांत सततता बनाए रखने पर बल दिए जाने को सुनिश्चित करते हुए योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र और करार।

(छ) प्रत्याशित परिणाम और लाभ, विशेष रूप से विभिन्न वर्गों के लिए आजीविका के संबंध में, प्रत्याशित लाभ, महिलाओं को लाभ तथा संसाधनों का पुनः सृजन/ संरक्षण आदि ।

53. वाटरशेड क्षेत्र के समेकित विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर), वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.) की सक्रिय भागीदारी के साथ वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) द्वारा तैयार की जाएगी । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) को तैयार करने तथा इसे अंतिम रूप देने में डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा भूमि और जल संसाधनों से संबंधित विभिन्न विषयगत (थीमैटिक) नक्शों का उपयोग किया जाना चाहिए । इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सर्वेक्षण संख्याओं के विशिष्ट ब्यौरों, स्वामित्व संबंधी ब्यौरों तथा प्रत्येक वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यों/ कार्यकलापों के स्थान का चित्रण करने वाले एक नक्शे सहित वाटरशेड के स्पष्ट सीमांकन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा ।

54. वाटरशेड के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) जिला संदर्शी योजना के समनुरूप होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.), पिछड़े क्षेत्रों की अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) तथा भू-जल की कृत्रिम पुनः भराई के अंतर्गत मृदा तथा नमी के संरक्षण से संबंधित अनुमत्य कार्यों को लघु वाटरशेड योजना का संपूरक होना चाहिए । जिला संदर्शी योजनाओं को तैयार करते समय जिला कृषि योजनाओं को भी ध्यान में लिया जाएगा।

55. यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर), एम.आई.एस. का एक भाग होगी, जिसमें से ब्यौरों को इनके राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) में राज्य स्तरीय आँकड़ा प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) में राष्ट्रीय आँकड़ा केन्द्र के बीच सूचना के स्रोत के रूप में तथा एक कड़ी के रूप में कार्य करने के अलावा निगरानी, प्रबंधन, लेखाकरण और विश्लेषणात्मक साधन के रूप में जी.आई.एस. के विभिन्न संस्तरों पर व्यवस्थित किया जाएगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को युक्तिसंगत ढाँचा विश्लेषण (एल.एफ.ए.) जिसमें लक्ष्य, प्रयोजन, परिणाम, कार्यकलाप, निविष्टियाँ, चुनौतियाँ और प्रगति के परिमेय सूचक शामिल होते हैं, जैसे मानक आयोजना साधन का प्रयोग करते हुए संक्षिप्त रूप में तैयार किया जाएगा।

56. तकनीकी रूप से परिपूर्ण और उच्च गुणवत्तायुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने का समग्र उत्तरदायित्व परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) का होगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.)/ जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.)/ जिला पंचायत (डी.पी.) के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। विकल्प के रूप में जिला स्तरीय समिति/ कलक्टर द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन और कार्यान्वयन किए जाने की प्रक्रिया जारी रह सकती है।

57. प्रत्येक वाटरशेड की विशिष्टताएं और समस्याएं अलग-अलग होती हैं। अतः इसके विकास और प्रबंधन हेतु स्थलाकृति, मृदा-आवरण के स्वरूप तथा गहराई, चट्टानों की किस्म, भूमि की जल-अवशोषण क्षमता, वर्षा की मात्रा, भूमि उपयोग आदि जैसे विभिन्न स्थल विशिष्ट कारकों के संबंध में ध्यानपूर्वक विचार किया जाना अपेक्षित होगा। सभी कार्यों की आयोजना स्थानीय मांगों और वाटरशेड की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के साथ-साथ उपरोक्त कारकों को ध्यान में लेते हुए स्थान विशिष्ट स्वरूप में तैयार की जानी चाहिए।

58. शिखर से घाटी की ओर (रिज़-टू-वैली) सिद्धांत को बहु-स्तरीय क्रमबद्ध पद्धति के साथ आमुख के तहत पैरा 9(IX) में विस्तृत रूप से सूचित किया गया है।

8.2 वाटरशेड कार्य चरण

59. यह चरण कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु है, जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) को कार्यान्वित किया जाएगा। इस चरण में शामिल किये जाने वाले कुछेक महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :-

(क) शिखर क्षेत्र का विकास : वन और सामान्य भूमि में वानस्पतिक आच्छादन को पुनः सृजित करने, वनीकरण, अलग-अलग स्थान पर खाइयाँ खोदने, समोच्च और क्रमिक पुश्ते लगाने, भूमि को सीढ़ीनुमा बनाने आदि सहित सतही जल बहाव की प्रबलता और गति को कम करके जल-ग्रहण क्षेत्र की उर्वरता को बनाए रखने हेतु अपेक्षित सभी कार्यकलाप ।

(ख) मिट्टी की बनी रोकों, झाड़ीनुमा पेड़ों के अवरोधों, अवनलिकाओं को बंद करने, शिलाखण्डों के द्वारा रोक लगाने, बेलनकार संरचनाओं का निर्माण करने, भूमिगत नालियाँ खोदने आदि जैसे वानस्पतिक और इंजीनियरिंग संरचनाओं के सम्मिश्रण द्वारा जल निकास स्वरूप में उपचार।

(ग) कम कीमत से निर्मित कृषि तालाबों, नालों पर बांधों, रोक-बांधों, रिसने वाले टैंकों और कुंओं, बोर-वैलों तथा अन्य उपायों के जरिए भू-जल की पुनः भराई जैसी जल-संग्रहण संरचनाओं का विकास ।

(घ) चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और बागवानी प्रजातियों के लिए नर्सरियाँ तैयार करना। जहां तक संभव हो, स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए।

(ङ) यथा-स्थान मृदा और नमी संरक्षण और क्षेत्र बांधों, समोच्च और क्रमिक बांधों, जिन्हें पौधों को लगाकर मजबूत किया जा सकता है, जैसे जल निकास प्रबंधन, उपायों, पर्वतीय भू-भागों में भूमि सीढ़ीनुमा बनाने सहित भूमि विकास ।

(च) नई फसलों/ किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए फसल प्रदर्शन करना तथा जल बचाव प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई अथवा परिवर्तनकारी प्रबंधन प्रक्रियाओं का प्रचार करना । जहां तक संभव हो, स्थानीय जनन-द्रव्य पर आधारित संभावित किस्मों को बढ़ावा दिया जाए।

(छ) चरागाह विकास, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, जुगाली करने वाले छोटे पशु, अन्य पशु पालन तथा अन्य लघु उद्यम ।

(ज) पशुओं के लिए पशु-चिकित्सा सेवाएं और पशुधन सुधार संबंधी अन्य उपाय ।

(झ) गाँव के तालाबों/ टैंकों, खेत तालाबों आदि में मत्स्य विकास ।

(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा बचाव उपकरणों, ऊर्जा संरक्षण उपायों, बायो-ईंधन पौध-रोपण आदि को बढ़ावा देना तथा प्रचार करना ।

8.3 समेकन तथा निवर्तन चरण

60. इस चरण में, चरण-II में संवर्द्धित संसाधनों तथा विकसित की गई आर्थिक योजनाओं को, प्रकृति आधारित नए सतत जीविका-साधनों के सृजन तथा उत्पादकता स्तरों को बढ़ाने का लिए आधार बनाया जाता है। इस चरण के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

(क) विभिन्न कार्यों का समेकन और उन्हें पूरा करना ।

(ख) परियोजनोत्तर अवधि के दौरान कार्यसूची की नई मदों को निष्पादित करने हेतु समुदाय आधारित संगठनों में क्षमता निर्माण करना ।

(ग) (विकसित) प्राकृतिक संसाधनों का सतत् प्रबंधन और

(घ) कृषि उत्पादन प्रणालियों/ कृषि से इतर आजीविका साधनों के संबंध में सफल अनुभवों में और वृद्धि करना।

61. इस चरण के दौरान विभिन्न कार्यकलापों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी गई है:-

61.1 विभिन्न कार्यों को समेकित करना

(क) प्रत्येक कार्य की स्थिति के संबंध में ब्यौरों सहित परियोजना पूरा होने संबंधी रिपोर्ट तैयार करना;

(ख) भविष्य में उपयोग के लिए सफल अनुभवों तथा प्राप्त किए गए ज्ञान के प्रलेख तैयार करना ।

61.2 विकसित प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

(क) परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रयासों की निरंतरता में सुधार लाना ;

(ख) सार्वजनिक सम्पत्ति जनित संसाधनों (सी.पी.आर.) पर प्रयोक्ता अधिकार का औपचारिक तौर पर आबंटन;

- (ग) सार्वजनिक सम्पत्ति जनित संसाधनों (सी.पी.आर.) के संबंध में प्रयोक्ता प्रभारों का एकत्रण;
- (घ) सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों (सी.पी.आर.) की मरम्मत, रखरखाव तथा संरक्षण;
- (ङ) विकसित प्राकृतिक संसाधनों का सतत् आधार पर उपयोग ;
- (च) उपरोक्त पहलुओं को पूरा करने में ग्राम पंचायत/ समनुरूपी संस्थाओं (शासी निकाय के रूप में) की भागीदारी ।

61.3 कृषि आधारित उत्पादन प्रणालियों/ कृषि से इतर जीविका-साधनों का संवर्धन

- (क) परियोजना के अंतर्गत परिक्रामी निधि और बाह्य संस्थाओं से ऋण तथा तकनीकी सहायता के जरिए उपरोक्त पहलुओं से संबंधित सफल अनुभवों को आगे और बढ़ाना ;
- (ख) कृषि प्रसंस्करण, उत्पादों की विपणन व्यवस्थाओं तथा इसी प्रकार के कृषि से इतर और अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देना ।
- (ग) किसानों को गैर-कीटनाशी प्रबंधन, कम कीमत वाली जैव-निविष्टियों का प्रयोग करने ,बीज-फार्मों को विकसित करने तथा प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने हेतु व्यापक बाजारों के साथ संपर्क स्थापित करने हेतु भी प्रोत्साहित करना ।

61.4 परियोजना प्रबंधन से संबंधित पहलू

- (क) समेकन चरण के दौरान किए जाने वाले कार्यकलापों की सहभागी आधार पर आयोजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी;
- (ख) प्रत्याशित परिणामों के अनुसार परियोजना का अंतिम मूल्यांकन ।

62. आर्थिक कार्यकलापों को वांछित स्तर पर सहायता देने के लिए गाँवों के एक समूह के स्तर पर परिसंघों की रचना की जा सकती है। ये परिसंघ जानकारी, ऋण,

निवेश प्राप्त करने, स्थानीय उत्पादों के विक्रय, निर्यात की दृष्टि से प्रसंस्करण कार्यकलाप करने के लिए बाह्य संसाधन एजेंसियों के साथ स्थापित संपर्कों को आगे मजबूत और सक्रिय बनाएंगे। इन कार्यकलापों में, कार्यकलापों की बैंक ग्राह्यता का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ-साथ स्थानीय स्तर की संस्थाओं के परिपक्व होने तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के लिए बहिर्गमन व्यवस्था (एग्जिट प्रोटोकॉल) लागू होने की प्रत्याशा की जाती है। वाटरशेड समितियां, चरण-II के दौरान सृजित की गई संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव हेतु वाटरशेड विकास निधि का उपयोग कर सकती हैं।

63. तीनों चरणों में कार्यकलापों के वर्गीकरण का कड़ाई से पालन नहीं किया जाना चाहिए। बहुत से वाटरशेडों में चरण-III के कई कार्यकलापों को चरण-I और/ अथवा II के दौरान भी शुरू किया जा सकता है। कार्यकलापों को चरणबद्ध बनाने हेतु आंतरिक तर्क संगतता और ईमानदारी की आवश्यकता है, जो संपूर्ण कार्य योजना के दौरान कायम रखी जानी चाहिए। यह प्रत्येक गाँव में व्याप्त प्रारंभिक स्थितियों, आवश्यकताओं और संभावनाओं, समुदाय की प्रतिक्रिया आदि जैसे तमाम कारणों पर निर्भर होगा। ऐसी लोचशीलता को कार्रवाई योजना में अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए तथा इसे इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक विशिष्ट विशेषता के रूप में देखना होगा।

9. निधियों का आबंटन, परियोजनाओं को अनुमोदित करना तथा निधियाँ जारी करना

9.1 राज्यों को निधियों का आबंटन

64. नोडल मंत्रालय/ विभाग राज्यों के बीच परियोजनाओं के लिए बजटीय परिव्यय का आबंटन निम्नलिखित मानदण्डों तथा राज्य के पूर्व कार्य निष्पादन (वास्तविक और वित्तीय) अर्थात् जिन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों के पास वाटरशेड तथा अन्य योजनाओं के बीच निधियाँ आबंटित करने की लोचशीलता है, को छोड़कर खर्च न की गई शेष राशि, बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र, कुल परियोजनाओं में से पूरी हुई परियोजनाओं की प्रतिशतता आदि को ध्यान में रखते हुए करेगा।

क. वाटरशेड आधारित विकास परियोजनाओं के संबंध में राज्य स्तरीय संदर्शी और कार्यनीतिक योजनाएँ।

ख. देश में कुल कृषित क्षेत्र की तुलना में राज्य में वर्षासिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता।

ग. देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में राज्य में बंजरभूमि/ अवक्रमित भूमि की प्रतिशतता ।

9.2 जिलों को निधियों का आबंटन

65. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियाँ निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए जिलों को निधियाँ वितरित करेंगी :-

क. वाटरशेड आधारित विकास परियोजनाओं के संबंध में जिला स्तरीय संदर्शी और कार्यनीतिक योजनाएं ।

ख. राज्य के कुल कृषित क्षेत्र की तुलना में जिले में वर्षासिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता।

ग. राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में जिले में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि/पंचायत भूमि की प्रतिशतता ।

9.3 वाटरशेड विकास परियोजनाओं का अनुमोदन और स्वीकृति

66. प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत तक, राज्य चल रही प्रतिबद्ध देयताओं के साथ-साथ नई परियोजनाओं जिन्हें वे शुरू करना चाहते हैं, को दर्शाते हुए विस्तृत वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करेंगे । तत्पश्चात्, विभाग की केन्द्र स्तरीय नोडल एजेंसी वर्ष के लिए उपलब्ध कुल बजट तथा पैरा 64 और 65 में दिए गए मानदण्डों के आधार पर उन राज्यों जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, को अलग-अलग विशिष्ट राशियाँ आबंटित करेगी । राज्यों द्वारा चल रही तथा नई परियोजनाओं के लिए अपना आबंटन प्राप्त करने के पश्चात्, वे राज्य आबंटन के भीतर अपनी परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु स्वतंत्र होंगे । राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) से नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर नोडल मंत्रालय जिला स्तरीय एजेंसी को सीधे निधियाँ जारी करेगा। तथापि, यदि जिला स्तरीय एजेंसी को निधियाँ जारी करना व्यवहार्य नहीं हो, तो विभागीय नोडल एजेंसियों की निधियाँ जारी करने संबंधी मौजूदा प्रक्रिया जारी रह सकती है।

67. विशिष्ट वाटरशेड परियोजनाओं के लिए उनमें शामिल विभिन्न संघटकों के संबंध में बजट का वितरण निम्नानुसार है :-

बजट संघटक	बजट की प्रतिशतता
- प्रशासनिक लागत	10
- निगरानी	1
- मूल्यांकन	1
प्रारम्भिक चरण, निम्नलिखित सहित	
- प्रारम्भिक कार्यकलाप	4
- संस्थापन तथा क्षमता निर्माण	5
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)	1
वाटरशेड कार्य चरण -	
- वाटरशेड विकास कार्य,	50
- गरीबी रेखा से नीचे के (बी.पी.एल.) तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका संबंधी कार्यकलाप,	10
- उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु (माइक्रो) उद्यम	13
समेकन चरण	5
योग	100

68. परियोजना बजट के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत व्यय निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- i. वाटरशेड विकास दलों/ वाटरशेड समितियों के सचिव आदि के वेतनों का भुगतान केवल प्रशासनिक लागत संघटक से ही किया जाएगा।
- ii. परियोजना लागत के प्रत्येक संघटक में बचतें, यदि कोई हों, तो उन्हें केवल वाटरशेड कार्यों के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है।
- iii. वाहनों तथा अन्य उपकरणों आदि की खरीद करने और भवनों का निर्माण करने की अनुमति नहीं है। तथापि, कम्प्यूटरों और संबंधित सॉफ्टवेयर की खरीद करने की अनुमति है।
- iv. समनुरूप विभागों से संबंध रखने वाली परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां, सामुदायिक संघटन तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संबंध में बाहर से सहायता लेने हेतु वीओओ /सीओबीओओ को तरजीह दे सकती हैं।

69. वाटरशेड विकास हेतु मौजूदा इकाई लागत 6000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है, जो अप्रैल, 2001 में निर्धारित की गई थी। तथापि, 11वीं योजना के दौरान इसे निम्नलिखित तीन पहलुओं - (क) कृषि प्रणालियों के जरिए उत्पादकता में सुधार सहित आजीविका साधनों को बढ़ावा देने, (ख) सामान्य /वन भूमि सहित वाटरशेड के अंतर्गत क्षेत्र की पूर्ण कवरेज, और (ग) सामग्री की कीमत तथा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा रहा है।

9.4 किस्तें जारी करने के लिए प्रक्रिया

70. परियोजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के तीनों चरणों के लिए निधियों का केन्द्रीय भाग जिला वाटरशेड विकास इकाईयों (डीडब्ल्यूडीयू)/ एजेंसी को निम्नलिखित पद्धति में अथवा नोडल मंत्रालय द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार जारी किया जाएगा :

क. प्रारंभिक चरण के कार्यक्रमों को शामिल करते हुए प्रथम किस्त अर्थात् केन्द्रीय भाग के 20% भाग को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) द्वारा परियोजना स्वीकृत किए जाने पर तुरंत ही जारी कर दिया जाएगा।

- ख. परियोजना लागत के प्रति केन्द्र के भाग की 50% की दूसरी किस्त प्रारंभिक चरण के पूरा होने के पश्चात् और प्रथम किस्त के 60% भाग के व्यय होने पर उचित प्रमाणीकरण और दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जाएगी।
- ग. 30% की तीसरी किस्त अर्थात् परियोजना लागत के कार्य-चरण के प्रति केन्द्र के भाग का 25% और समेकन चरण के लिए 5% भाग को जारी की गई कुल निधियों के 75% व्यय के उचित प्रमाणीकरण और इसके समर्थन में संगत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद जारी की जाएगी।

परन्तु यदि उपर्युक्त प्रक्रिया व्यवहार्य न हो, तो संबंधित मंत्रालयों द्वारा निधियां जारी करने की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखा जा सकता है।

71. जिला कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्य सरकार को निधियां प्रत्येक जिले से प्राप्त हुए विशिष्ट वार्षिक प्रस्तावों के आधार पर उनकी चल रही वचनबद्धताओं और स्वीकृत की गईं नई परियोजनाओं तथा जिले के लिए समग्र बजटीय प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए) द्वारा उनकी कार्य योजना को अनुमोदित किए जाने पर सीधे ही जारी की जाएंगी। जिला वाटरशेड विकास इकाइयों (डी.डब्ल्यू.डी.यू)/एजेंसियों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों और वाटरशेड समितियों (डब्ल्यूसी) को निधियाँ इन्हें प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर जारी की जाएंगी।

9.5 प्रयोक्ता प्रभार

72. ग्राम सभा, वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) के जरिए प्रयोक्ता प्रभार एकत्र करने के लिए प्रक्रिया को लागू करेगी। निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर किए गए कार्य के लिए भूमिहीनों, निस्सहायों, विकलांगों/उन परिवारों, जिनकी मुखिया विधवाएं हैं, से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा। एकत्र किए गए प्रयोक्ता प्रभारों को परियोजना के दौरान सृजित की गई परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए वाटरशेड विकास निधि में जमा कर दिया जाएगा।

9.6 वाटरशेड विकास निधि

73. वाटरशेड परियोजनाओं के लिए गांवों के चयन हेतु एक अनिवार्य शर्त वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यू.डी.एफ.) में लोगों द्वारा अंशदान किया जाना है। वाटरशेड विकास

निधि में अंशदान केवल निजी भूमि पर निष्पादित एन.आर.एम. कार्यों की लागत का न्यूनतम 10% होगा। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में न्यूनतम अंशदान उनकी भूमि पर निष्पादित एन.आर.एम. कार्यों की लागत का 5% होगा। तथापि निजी भूमि पर मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि-वानिकी, पशु-पालन आदि जैसे अन्य लागत प्रधान कृषि कार्यकलापों, जिनसे किसानों को सीधे ही लाभ प्राप्त होता है, किसानों का अंशदान सामान्य श्रेणी के लिए 40% तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए 20% होगा तथा कार्यकलापों की शेष लागत अर्थात् सामान्य श्रेणी के लिए 60% और अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों की श्रेणी के लिए 80% लागत परियोजना निधियों से पूरी की जाएगी परन्तु यह वाटरशेड विकास परियोजना के लिए मानक इकाई लागत मानदण्ड से दोगुनी राशि के बराबर राशि की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन होगी।

74. यह अंशदान कार्य के निष्पादन के समय पर नकद रूप में अथवा स्वैच्छिक श्रम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। स्वैच्छिक श्रम के मौद्रिक मूल्य के बराबर राशि को वाटरशेड परियोजना लेखे से डब्ल्यू.डी.एफ. के बैंक खाते में अंतरित किया जाएगा जो वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.) के बैंक खाते से अलग बैंक खाता होगा। प्रयोक्ता प्रभारों, बिक्री से प्राप्त आय और मध्यवर्ती भोगाधिकारों की निपटान राशियों को भी वाटरशेड विकास निधि के बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों पर परियोजना के अंतर्गत सृजित की गई परिसम्पत्तियों से अर्जित आय को भी वाटरशेड विकास निधि में जमा कराया जाएगा।

75. वाटरशेड समिति का सचिव वाटरशेड विकास निधि में आय और व्यय का पूर्णतया अलग लेखा रखेगा। निधि के संचालन के लिए नियम वाटरशेड समिति द्वारा तैयार किए जाएंगे और ग्राम सभा द्वारा इनका अनुसमर्थन किया जाएगा। वाटरशेड विकास निधि के बैंक खाते को ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और ग्राम सभा द्वारा नामित स्व-सहायता समूह के किसी सदस्य द्वारा संचालित किया जाएगा। विकल्प के रूप में, वाटरशेड विकास निधि के प्रबंधन और उपयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त संबंधित नोडल मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा सकते हैं।

76. चरण-II के पूरा होने के पश्चात् वाटरशेड विकास निधि के कम से कम 50% भाग को सामुदायिक भूमि पर सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए अथवा परियोजना के अंतर्गत सामान्य प्रयोग के लिए आरक्षित किया जाएगा। निजी भूमि पर किए गए कार्यों की मरम्मत/अनुरक्षण कार्य इस निधि से नहीं किए जाएंगे। शेष राशि

को परियोजना क्षेत्र के उन ग्रामीणों को, जिन्होंने इस निधि में अंशदान किया हो, ऋण देने के लिए परिक्रामी निधि के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अलग-अलग व्यक्तियों और धर्मार्थ संस्थाओं को इस निधि में उदारतापूर्वक अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

9.7 अन्य योजनाओं/परियोजनाओं के साथ समन्वय

77. 11वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों, विशेषरूप से भारत निर्माण के तहत योजनाओं और कार्यक्रमों तथा अन्य फ्लैगशिप योजनाओं के संसाधनों को वाटरशेड विकास परियोजनाओं के साथ समेकित और सुमेलित करने हेतु एक अवसर का प्रस्ताव किया गया है। जिला स्तर पर योजनाओं को अनिवार्यतः तैयार किए जाने से बुनियादी स्तर पर समेकन और सहक्रियाएं की जा सकेंगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पूरी की जाने वाली कमियों अथवा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, (बी.आर.जी.एफ.) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) से हटकर शुरू किए जाने वाले वाटरशेड कार्यक्रमों, भू-जल की कृत्रिम पुनः भराई, टैंकों, जल स्रोतों तथा किन्हीं अन्य उपलब्ध स्रोतों के नवीकरण और मरम्मत कार्यों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया जा सकता है। संशोधित ए.पी.एम.सी. अधिनियम के अंतर्गत विपणन और मूल्यवर्धन भी संभव है। परियोजना स्तर पर सभी संगत योजनाओं को समेकित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

9.8 परियोजनाओं को समय-पूर्व बंद करना

78. प्राधिकारियों और सहभागी समुदायों का सर्वोत्तम अभिप्राय होने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक तैयार किए जाने और ध्यानपूर्वक निगरानी किए जाने के बावजूद भी ऐसी परियोजनाओं के उदाहरण होंगे जो अभी भी बंद हो सकती हैं अथवा एक विशेष बिन्दु से आगे कोई प्रगति नहीं करती हैं। ऐसे विषम मामलों में, जिनमें परियोजना पर आगे कार्रवाई करना केवल समय, ऊर्जा और संसाधनों को बर्बाद करना है, परियोजना को समय-पूर्व बंद करने का अंतिम कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है। जिला वाटरशेड प्रबंधन इकाई/एजेंसी द्वारा प्रथम किस्त प्राप्त किए जाने के तीन महीनों के भीतर परियोजना कार्य शुरू किया जाना चाहिए। इसे व्यय विवरणों के द्वारा आंका जाएगा, जिसमें असफल रहने पर परियोजना को समाप्त कर दिया जाएगा और जारी की गई किस्त की राशि को राज्य की अन्य परियोजनाओं के लिए जारी की जाने वाली राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।

79. निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना को समय-पूर्व बंद करने हेतु स्वतः ही कदम उठाए जा सकते हैं-
- क. परियोजना के प्रति राज्य और जिला स्तरीय प्राधिकारियों की ओर से निरंतर उदासीनता।
 - ख. प्रारंभिक चरण के समाप्त होने के पश्चात् दो वर्षों तक कोई वैध औचित्य न देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/अनुमोदित कार्य-योजना प्रस्तुत न करना।
 - ग. यदि परियोजना के संबंध में कोई मामला किसी न्यायालय में निर्णयाधीन है और परियोजना कार्यकलाप को स्थगित करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया हो।
 - घ. कोई अन्य कारण जो जिला/ राज्य/केन्द्र द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार, समय-पूर्व बंदी को सही ठहराता हो।

10. क्षमता निर्माण संबंधी कार्यनीति

80. वाटरशेड विकास परियोजनाओं से वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु क्षमता निर्माण सहायता एक महत्वपूर्ण संघटक है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में देश में वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यनीति की रूप-रेखाओं को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) तथा अन्य संसाधन संगठनों के साथ परामर्श से प्रत्येक राज्य में क्षमता निर्माण के लिए प्रचालनात्मक कार्य नीति तैयार करने में सहायता करेगा। राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, केन्द्र स्तर पर नोडल एजेंसियों, संसाधन संगठनों के संघों द्वारा निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्य नीति और कार्यकलापों का वित्तपोषण वाटरशेड विकास परियोजना के प्रारंभिक चरण में संस्थापन और क्षमता निर्माण के लिए निर्धारित बजट के अलावा अलग से किया जाना चाहिए।

10.1 क्षमता निर्माण संबंधी कार्यनीति के मुख्य घटक

81. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) राष्ट्र स्तरीय तथा राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माण कार्यनीतियों को तैयार करने के लिए विभिन्न संसाधन संगठनों के साथ सहयोग करेगा। क्षमता निर्माण कार्यनीति के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:-

- समर्पित तथा विकेन्द्रीकृत संस्थागत सहायता और सुपुर्दगी तंत्र।
- क्षमता निर्माण के लिए वार्षिक योजना।
- साधन सम्पन्न व्यक्तियों को इकट्ठा करना।
- उचित रूप से तैयार किए प्रशिक्षण मापदंड (मॉड्यूल्स) तथा पाठ्य सामग्री।
- कारगर निगरानी तंत्र तथा अनुवर्ती कार्रवाई ।

10.2 संसाधन संगठन और भागीदारी विकसित करना

82. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.), राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एम.ए.एन.ए.जी.ई), केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सी.ए.जैड.आर.आई.), केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सी.एस.डब्ल्यू.सी.आर.टी.आई.) और इसके क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आई.डी.ए.), जल प्रौद्योगिकी केन्द्र (डब्ल्यू.टी.सी.) भारतीय दूर संवेदी संस्थान, देहरादून, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनन्द (आई.आर.एम.ए.), भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एफ.एम.), भारतीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ), भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एस.एल.यू.एस.आई.) कुछेक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरों पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को क्षमता निर्माण संबंधी निविष्टियां प्रदान कर सकते हैं।

83. देश के विभिन्न भागों में ए.के.आर.एस. (पी) (गुजरात), एम.वाई.आर.ए.डी.ए. (कर्नाटक), डब्ल्यू.ओ.टी.आर.(महाराष्ट्र), धान फाउन्डेशन(तमिलनाडु), समाज प्रगति सहयोग (मध्य प्रदेश), डिवलपमेंट स्पोर्ट सेन्टर(गुजरात), ए.एफ.ए.आर.एम.(महाराष्ट्र), डब्ल्यू.ए.एस.एस.ए.एन.(आंध्र प्रदेश), अरावली (राजस्थान), प्रदान (झारखंड), सी.वाई.एस.डी.(उड़ीसा), सेवा मंदिर (राजस्थान) इत्यादि जैसे बहुत से प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठन/संसाधन संगठन भी हैं, जिन्हें वाटरशेड विकास परियोजनाओं के संबंध में पर्याप्त विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त है । इनमें से कुछेक संगठन राज्य सरकारों के

साथ सहयोग से वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन संगठनों के रूप में पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

84. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) देश में ऐसे सभी संसाधन संगठनों की विस्तृत सूची तैयार करने तथा उनकी विशेषज्ञता और क्षमताओं का ब्यौरा तैयार करने में राज्य सरकारों की सहायता करेगा। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर संसाधन संगठनों की पहचान करते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर एन.आर.ए.ए. मंत्रालयों/विभागों/एसएलएनए/डीडब्ल्यूडीयू और सरकारी/स्वयंसेवी/आईसीएआर पृष्ठभूमि वाले संसाधन संगठनों के बीच औपचारिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है। ये संसाधन संगठन, प्रत्येक राज्य की आवश्यकता और क्षमता निर्माण कार्यनीति पर निर्भर करते हुए राष्ट्रीय/राज्य/जिला/उप-जिला स्तर पर कार्य कर सकेंगे। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) संसाधन संगठनों के साथ मिलकर स्पष्ट रूप से विचारार्थ विषय तैयार करती है। आवश्यकता पर निर्भर करते हुए राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.)/राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी(एस.एल.एन.ए.), वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक क्षमता निर्माण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए संसाधन संगठनों का संकाय भी बना सकते हैं।

11. निगरानी, मूल्यांकन और ज्ञानार्जन

11.1 निगरानी

85. प्रत्येक अवस्था में परियोजना की नियमित रूप से निगरानी की जानी होगी। ऑन लाइन निगरानी किया जाना, सभी परियोजनाओं की एक विशेषता होगी। निगरानी में प्रक्रिया और परिणाम संबंधी निगरानी शामिल होनी चाहिए। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) (वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.) के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) तिमाही प्रगति रिपोर्टें, जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.) को प्रस्तुत करेगी जो इन्हें आगे राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करेगी। जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी.डब्ल्यू.डी.यू.) में एक सदस्य पूर्णतया निगरानी करने के लिए ही उत्तरदायी होगा।

86. निगरानी की विभिन्न पद्धतियों का प्रस्ताव किया गया है। यह सुनिश्चित करने में कि समुचित स्तरों पर निम्नलिखित पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) की भूमिका महत्वपूर्ण है:-

- परियोजना दलों (पी.आई.ए./डी.डब्ल्यू.डी.यू.) द्वारा आंतरिक निगरानी
- प्रगति की निगरानी
- जी.आई.एस./वेब आधारित ऑन लाइन निगरानी
- समुदायों द्वारा स्व निगरानी
- सततता संबंधी निगरानी
- सामाजिक लेखाजोखा
- स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र तथा बाह्य तौर पर निगरानी
- प्रक्रिया निगरानी

11.2 मूल्यांकन

87. प्रत्येक मंत्रालय में मूल्यांकन एजेंसियों का एक राष्ट्रीय पैनल होगा। राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के द्वारा मूल्यांकन तथा प्रभाव अध्ययन न्यूनतम प्रतिशतता में किए जाएंगे, जिससे वास्तविकता सुनिश्चित होगी तथा राष्ट्रीय परिदृश्य प्रस्तुत होगा।

88. मूल्यांकनकर्ताओं का राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) का एक पैनल भी होगा जो केन्द्रीय स्तर पर विभागीय नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदित होगा। इस पैनल में केवल संस्थाएं और एजेंसियां ही शामिल होंगी - व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी इन एजेंसियों के साथ एक औपचारिक संविदा निष्पादित करेगी। जिला वाटरशेड विकास इकाई राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अनुमोदित पैनल में से किसी एजेंसी का चयन कर सकती है, इसके लिए एक मात्र शर्त यह होगी कि वह एजेंसी उस क्षेत्र की नहीं होनी चाहिए जिस क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा रहा है।

89. प्रत्येक मूल्यांकन में किए गए कार्य की वास्तविक, वित्तीय तथा सामाजिक लेखापरीक्षा शामिल होगी। मूल्यांकनकर्ता को निरीक्षकों के रूप में न देखकर सुविधाप्रदाता के रूप में देखा जाएगा। तथापि वे इस बात को कड़ाई से सुनिश्चित करेंगे कि इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जा रहा है। निधियां जारी करना मूल्यांकनकर्ताओं से अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

90. समवर्ती और परियोजनोपरांत मूल्यांकन वाटरशेड संबंधी कार्यकलापों की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाएगा। संबंधित मंत्रालयों द्वारा मूल्यांकन के संबंध में पृथक मार्गदर्शी सिद्धान्त यथा समय जारी किए जाएंगे।

11.3 ज्ञानार्जन

91. क्षेत्रीय अनुभवों तथा स्वतंत्र स्रोतों की पूरक सूचना से ज्ञान प्राप्त करने हेतु वाटरशेड विकास दल/ वाटरशेड समिति द्वारा योजनाबद्ध प्रयास किए जाएंगे। विभिन्न स्तरों पर ज्ञानार्जन प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों का प्रस्ताव किया जाता है:-

- (क) आंतरिक दल द्वारा निगरानी आंकड़ों (सभी प्रकार की निगरानी) का नियमित आधार पर सुव्यवस्थित विश्लेषण करना और परियोजना प्राधिकारियों/नीति निर्धारकों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करना।
- (ख) अनुसंधान तथा कार्य अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए जिला वाटरशेड विकास इकाई द्वारा स्वतंत्र अकादमिक तथा स्वयंसेवी संगठनों की सेवाएं लेना।
- (ग) नए विषयों तथा नवकारी मॉडलों पर प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ करना।
- (घ) क्षेत्रीय अनुभवों, निगरानी प्रक्रियाओं तथा अकादमिक /अनुसंधान अध्ययनों से ज्ञान प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से वैचारिक आदान-प्रदान, विचार-विमर्शक तथा ज्ञानार्जन के अवसरों का आयोजन करना। इन अवसरों का आयोजन जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है।

11.4 निष्कर्ष/अंतिम परिणाम

92. प्रत्येक वाटरशेड विकास परियोजना से परियोजना अवधि के समाप्त होने तक निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए जाने की आशा की जाती है:-

- (क) वाटरशेड क्षेत्र में वे सभी कार्य/कार्यकलाप जिनकी आयोजना, जल निकास लाइनों, कृषि योग्य तथा गैर-कृषि योग्य भूमि के सुधार और विकास के लिए की गई है, प्रयोक्ता समूहों और सामुदायिक भागीदारी और योगदान के साथ कुल मिलाकर पूरे हो गए हैं।

- (ख) प्रयोक्ता समूहों/पंचायतों ने सृजित परिसम्पत्तियों के प्रचालन तथा अनुरक्षण का कार्य स्वेच्छापूर्वक ग्रहण कर लिया है तथा उनके अनुरक्षण एवं आगे विकास हेतु उपयुक्त प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थाएं कर दी गई हैं।
- (ग) वाटरशेड समिति के सभी सदस्यों तथा कर्मचारियों जैसे वाटरशेड सचिव तथा स्वयंसेवकों को उनका ज्ञान बढ़ाने तथा तकनीकी/प्रबंधकीय तथा समुदाय संगठनात्मक कौशल को उस स्तर तक बढ़ाने के लिए उन्मुखीकरण हेतु प्रशिक्षण दिया गया है जो परियोजना से वाटरशेड विकास दल के निवर्तन पर उनके उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किए जाने हेतु उपयुक्त है।
- (घ) ग्राम समुदाय को बचत करने तथा आय सृजन संबंधी अन्य कार्यकलापों को करने के लिए ऐसे विभिन्न समरूपी स्व-सहायता समूहों में संगठित किया गया होगा जिन्हें उनके सदस्यों से पर्याप्त प्रतिबद्धता प्राप्त हुई होगी तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए वित्तीय संसाधनों को तैयार कर लिया होगा।
- (ङ) फसल सघनता तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि जिससे कृषि उत्पादन में समग्र वृद्धि प्रदर्शित होती हो।
- (च) परियोजना क्षेत्र में किसानों/भूमिहीन श्रमिकों की आय में वृद्धि।
- (छ) वाटरशेड कार्यकलापों द्वारा जल की संवर्धित पुनः भराई के कारण भू-जल के स्तर में वृद्धि।

परिवर्णी शब्द (एक्रोनिम)

बी.आर.जी.एफ कपार्ट	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्
सी.ए.जैड.आर.आई सी.ई.ओ.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सी.पी.आर	सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन
सी.आर.आई.डी.ए	केन्द्रीय बारानी भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान
सी.एस.डब्ल्यू.सी.आर.टी.आई	केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान
डी.डी.पी	मरूभूमि विकास कार्यक्रम

डी.ओ.एल.आर	भूमि संसाधन विभाग
डी.पी	जिला पंचायत
डी.पी.ए.पी	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डी.पी.सी.	जिला आयोजना समिति
डी.पी.आर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.आर.डी.ए	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी
डी.डब्ल्यू.डी.यू.	जिला वाटरशेड विकास इकाई
जी.आई.एस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.पी	ग्राम पंचायत
जी.पी.एस.	ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम
जी.एस	ग्राम सभा
आई.सी.ए.आर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी	अंतरराष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंध फसल अनुसंधान संस्थान
आई.ई.सी	सूचना, शिक्षा और संचार
आई.आई.एफ.एम	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
आई.आर.एम.ए	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनन्द
आई.एस.आर.ओ	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आई.टी	सूचना प्रौद्योगिकी
आई.डब्ल्यू.डी.पी	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम
आई.डब्ल्यू.एम.पी	समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम
जे.एफ.एम.सी	संयुक्त वन प्रबंधन समिति
एल.एफ.ए	लोजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस(तार्किक रूपरेखा विश्लेषण)
मैनेज	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान
एम.ओ.आर.डी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एम.ओ.यू	समझौता ज्ञापन
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एन.ए.ई.पी	राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी-विकास परियोजना
एन.डी.सी	राष्ट्रीय आँकड़ा केन्द्र
एन.जी.ओ	गैर-सरकारी संगठन
एन.आई.आर.डी	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान

एन.एल.एन.ए	राष्ट्र स्तरीय नोडल एजेन्सी
एन.आर.ए.ए	राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण
एन.आर.ई.जी.ए	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम
एन.आर.ई.जी.एस	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
एन.आर.एस.ए	राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेन्सी
एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए	राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र वाटरशेड विकास परियोजना
पी.आई.ए	परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी
पी.आर.ए	सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन
आर.वी.पी एवं एफ.पी.आर	नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदी परियोजना
एस.ए.यू.	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
एस.सी	अनुसूचित जाति
एस.जी.आर.वाई	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एस.एच.जी	स्व सहायता समूह
एस.आई.आर.डी	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
एस.जी.एस.वाई	स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
एस.एल.पी.एस.सी	राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति
एस.एस.आर	दरों की मानक अनुसूची
एस.टी	अनुसूचित जनजाति
एस.वी.ओ	सहायक स्वयंसेवी संगठन
एस.एल.एन.ए	राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
एस.डब्ल्यू.ए.एन	राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क
यू.जी	प्रयोक्ता समूह
वी.ओ.	स्वयंसेवी संगठन
डब्ल्यू.सी	वाटरशेड समिति
डब्ल्यू.सीज्	वाटरशेड समितियाँ
डब्ल्यू.डी.एफ	वाटरशेड विकास निधि
डब्ल्यू.डी.टी	वाटरशेड विकास दल
डब्ल्यू.टी.सीज्	जल प्रौद्योगिकी केन्द्र
